प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

जो जितना अच्छा होता है, भगवान उसे उतनी ही चिंता में रखते है।

रामधारी सिंह दिनकर

वर्ष-07, अंक - 09 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 21 नवम्बर 2024 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

डिजिटल अरेस्टः सरकार इतनी असहाय क्यों...?

माही की गूंज, । संजय भटेवरा

झाबुआ। पहले मुर्गी आई या अंडा की तर्ज पर अगर नया सिम कार्ड लेने जाओ तो आधार कार्ड मांगा जाता है। वही आधार कार्ड बनवाने जाओ तो मोबाइल नंबर मांगा जाता है...?

ये बात भले ही हास्य में अच्छी लगती है, लेकिन बात बहुत गहरी है। सिम कार्ड जारी करने के लिए सारे दस्तावेज मांगे जाते हैं। यानी सिम कार्ड लेने वाले की पूरी कुंडली मोबाइल कंपनी के पास रहती है। लेकिन इसके बावजूद देश भर में हजारों लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं...? लेकिन सरकार द्वारा इन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाना इतना कठिन क्यों लग रहा है...? सरकार को इस पर कड़े निर्णय लेना चाहिए। लेकिन सरकार द्वारा इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात में डिजिटल अरेस्ट को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। जबकि सरकार को इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इस प्रकार के अपराध में लिप्त अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए।

क्या है डिजिटल अरेस्ट...

डिजिटल अरेस्ट साईबर धोखाधड़ी का एक नया तरीका है, जिसमें जालसाज कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर ऑडियो या वीडियो कॉल पर लोगों को डराते हैं और गिरफ्तारी के झूठे बहाने से उन्हें डिजिटल रूप से बंधक बनाते हैं।

डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून में नहीं है लेकिन इस तरह के बढ़ते अपराध की वजह से इस शब्द का जन्म हुआ है। पिछले तीन महीने में दिल्ली एनसीआर में 600 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लगभग 400 करोड रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इसके अलावा कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें ठगी करने की कोशिश हुई है लेकिन सफल नहीं हुई है।

कैसे होती है डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत

डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत एक मैसेज या फोन कॉल के साथ होती है जिसमें जालसाज लोगों को फोन करके कहते हैं कि, वे पुलिस डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे। और कहते हैं कि, आपके पेन और आधार का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी वस्तुएं खरीदी गई है या फिर मनी लांड्रिंग की गई है। कई बार वे खुद को कस्टम विभाग का अधिकारी बता कर प्रतिबंधित ड्रग्स या प्रतिबंधित चीजों के पार्सल आने संबंधित कहानी भी गढ़ते हैं। यही नहीं कुछ मामलों में बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे बच्चों के पालको से कहा जाता है कि, आपका बच्चा गैर कानूनी कार्यों में फस गया है और कैस रफा-दफा के नाम पर पैसे की डिमांड की जाती है। यही नहीं कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें ठग अपने आप को सरकारी विभाग का अधिकारी बनकर सरकारी कर्मचारियों को भी गुमराह कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं। यही नहीं इस डिजिटल अरेस्ट में बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी तक इन जालसाजो की ठगी का शिकार हो चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट में वीडियो कॉल करके सामने बैठे रहने को कहा जाता है और इस दौरान किसी से मिलने, मैसेज करने की अनुमति भी जालसाज नहीं देते हैं और जमानत के नाम पर पैसा ऑनलाइन जमा करवा लिया जाता है और लोग अपने घर में ही ऑनलाइन कैद हो जाते है, इसे ही डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है।

क्या डिजिटल अरेस्ट में कोई सजा का प्रावधान है

इन मामलों में बहुत तरह की सजा हो सकती है। गलत डॉक्यूमेंट बनाने, लोगों से ठगी करने, सरकारी एजेंसी को गुमराह करने की सजा हो सकती है। इसके अलावा मनी लांड्रिंग हो रही है तो उसकी सजा, आईटी एक्ट के तहत सजा, ट्राई के कानून के तहत गलत सिम कार्ड लेने की सजा का प्रावधान है। हालांकि इसमें दिक्कत यह है कि, ऐसे मामलों में छोटी-छोटी मछलियां पकड़ में आती है और असल मास्टरमाइंड या बड़ी मछली विदेश में बैठी होती है और सरकार उन्हें पकड़ नहीं पाती है। सरकार को चाहिए कि, वे इन मामलों को गंभीरता से ले और मामले की तह तक जाए और इस इस प्रकार के अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखें। क्योंकि इस प्रकार के मामले अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है छोटे-छोटे गांवो तक पहुंच चुके हैं। जहां जालसाज नए-नए तरीके अपनाकर आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कई ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन भय के कारण मामला सामने नहीं लाते हैं।

एपीके फाइलः पहले सोर्स देखें

शादी का सीजन चालू हो चुका है और कुछ लोग अपनी पत्रिका व्हाट्सएप पर भेज कर निमंत्रण दे देते हैं। ऐसे में जालसाज ने इसमें भी ठगी का तरीका ढूंढ निकाला है। जिसमें आपको एक फाइल प्राप्त होती है जिसको डाउनलोड करते ही आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में इस प्रकार की फाइलों को पहले आप ध्यान से देखें और भेजने वालों की व्यक्तिगत जानकारी देखकर पहले मामले की जांच कर ले।

एपीके फाइल में वायरस या मैलवेयर हो सकता है या फिर ठगी का तरीका इसके लिए एपीके फाइल को मेल या व्हाट्सएप पर डाउनलोड करने से बचे।

कैसे बचे डिजिटल अरेस्ट से

डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए निम्न बातें ध्यान में रखें और अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें।

1. साइबर अपराधी से संपर्क करने पर न तो जल्दबाजी करें और न ही डरे।
2. कुछ भी करने से पहले शांति से थोड़ा सोचे।
3. अनजान नंबर से आने वाली फोन या वीडियो कॉल पर कोई भी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी साझा न करें।
4. दबाव में पैसे ट्रांसफर न करें, असली कानूनी एजेंसी कभी भी तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का दबाव नहीं डालती है।
5. किसी भी अनजान नंबर से आए किसी भी लिंक पर क्लिक न करे।
6. अनजान नंबर पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी पेन, आधार या बैंक खाते की न दे।
7. पर्सनल डाटा और किसी भी ट्रांजैक्शन ऐप पर गोपनीय पासवर्ड लगा कर रखें।
8. कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड न करें और न ही किसी अनऑफिशियल प्लेटफार्म से कुछ इंस्टॉल करें।

एग्जिट पोलः महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा गठबंधन को बढ़त

नई दिल्ली, एजेंसी।

महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजे दोनों राज्यों में भाजपा के लिए सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 सीटों पर हुए चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। महाराष्ट्र में हुए 6 एग्जिट पोल में से 5 ने भाजपा-शिवसेना गठबंधन (एनडीए) की सरकार बनने का अनुमान जताया है। अधिकांश पोल के अनुसार, एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना है। केवल एक एग्जिट पोल में कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन को बढ़त बताई गई है। इसी तरह झारखंड में अब तक आए 2 एग्जिट पोल ने भी भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया है। राज्य में 13 नवंबर और 20 नवंबर को दो चरणों में मतदान हुआ था। दोनों पोल के मुताबिक भाजपा गठबंधन को बहुमत मिलने के आसार हैं। फिलहाल 23 नवंबर तक इंतजार करना होगा, जब मतगणना के बाद दोनों राज्यों में राजनीतिक स्थिति स्पष्ट होगी। एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही साबित होते हैं, तो यह भाजपा के लिए एक और बड़ी जीत होगी। वहीं, विपक्षी पार्टियों के लिए यह आत्ममंथन का समय होगा।

एग्जिट पोल-2024

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव

सीटें 288- बहुमत 145

सर्वे एजेंसी	महायुति	महाविकास अघाड़ी	अन्य
पीपुल्स पल्स	175-195	85-112	7-12
इलेक्टोरल एज	118	150	20
पोल डायरी	122-186	69-121	12-29
न्यूज 18-मैट्रिज	150-170	110-130	8-10
P-MARQ	137-157	126-146	2-8
न्यूज-24 चाणक्य	152-160	130-138	6-8
पोल ऑफ पोल्स	153	122	12

एक्जिट पोल 2024- पोल ऑफ पोल्स

महाराष्ट्र

6 एजेंसी का सर्वे

कांग्रेस+	122
भाजपा+	153
अन्य	13

कुल सीट: 288। बहुमत: 145

झारखंड

3 एजेंसी का सर्वे

कांग्रेस+	32
भाजपा+	45
अन्य	4

कुल सीट: 81। बहुमत: 41

बीएचयू में बदलावः पीएचडी प्रवेश अब ऑनलाइन पोर्टल से होगा

वाराणसी, एजेंसी।

बीएचयू में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब पीएचडी में प्रवेश बीएचयू के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। एनटीए से नेट-जेआरएफ उत्तीर्ण छात्रों की सूची आने के बाद प्रवेश शुरू होगा।

संबद्ध कॉलेजों के प्रोफेसरों को इस बार नए शोध छात्रों की नियुक्ति नहीं मिलेगी। प्रवेश केवल उन्हीं सुपरवाइजरों को मिलेगा जिनके पास शोध छात्र नहीं हैं और जिनके पास पीएचडी डिग्री है।

इस बार चार संबद्ध कॉलेजों (डीएवी पीजी कॉलेज, आर्य महिला पीजी कॉलेज, वसंत कन्या महाविद्यालय और वसंत कॉलेज) को पीएचडी प्रवेश में शामिल किया गया है। चयनित छात्रों की प्री-पीएचडी बीएचयू में होगी, जबकि बाकी कक्षाएं और शोध कॉलेजों में होंगे।

1 लाख 14 हजार शिक्षकों को मिला राज्यकर्मी का दर्जा

पटना, एजेंसी।

बिहार सरकार ने 1 लाख 14 हजार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के अधिवेशन भवन में नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षक जहां काम कर रहे हैं, वहीं उनकी तैनाती रहेगी, नई जगह पर पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। इस घोषणा के बाद कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों ने तालियां बजाकर मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्णय का असर बिहार के साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों पर पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि 2005 में स्कूलों की कमी थी, शिक्षक कम थे और बच्चों के लिए स्कूल भवन भी नहीं थे। 2008 में लड़कियों को साइकिल दी गई और 2010 में लड़कों को भी साइकिल उपलब्ध कराई गई। 2006-07 में नियोजित शिक्षक की बहाली की गई और नगर निकायों तथा पंचायतों में नियुक्तियां शुरू की गई। अब तक 3 लाख 67 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। 2023 में बीपीएससी के माध्यम से 2 लाख 17 हजार 73 शिक्षक नियुक्त किए गए और 28 हजार नियोजित शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बने हैं।

अतिक्रमण पर बवाल, हुआ पथराव

रीवा, डेस्क न्यूज।

मध्यप्रदेश के मऊगंज में महादेवन मंदिर से अतिक्रमण हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। मंगलवार शाम को विवाद के बाद आगजनी हुई, और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव किया। इस घटना में चार लोग घायल हो गए। मऊगंज कलेक्टर ने इलाके में धारा 163 लागू की और मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल को जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटाने की कोशिश करते हुए हिरासत में लिया। विधायक की मौजूदगी में झड़प बढ़ गई और अतिक्रमणकारियों के बीच पथराव हुआ।

एसपी ने बताया कि दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और निषेधाज्ञा लागू की गई है।

निर्दलीय उम्मीदवार की मौत, पोलिंग बूथ पर आया हार्ट अटैक

महाराष्ट्र, एजेंसी।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान बीड जिले के निर्दलीय उम्मीदवार बालासाहेब शिंदे की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह दुखद घटना उस समय हुई जब वह मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक, शिंदे पोलिंग बूथ पर पहुंचते ही अचानक असहज महसूस करने लगे और गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शिंदे के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। वह लंबे समय से स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे और बीड जिले के विकास के लिए कई पहल कर चुके थे। उनके निधन के बाद समर्थकों और परिवारवालों में शोक की लहर है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, और मौत की वजह को लेकर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। शिंदे के परिवार और समर्थकों ने इस हादसे को लेकर गहरा दुःख व्यक्त किया है।

सबर्मति रिपोर्टः एमपी में टैक्स फ्री

भोपाल, डेस्क न्यूज।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को 'सबर्मति रिपोर्ट' फिल्म को राज्य में करमुक्त करने की घोषणा की। इस फिल्म के जरिए इतिहास और सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी मंत्री, सांसद और विधायकों से अपील की कि वे इस फिल्म को देखें और इसके संदेश को समाज तक पहुंचाएं। डॉ. यादव ने कहा कि फिल्म ÷सबर्मति रिपोर्ट÷ राष्ट्रीय महत्व की है और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए इसे करमुक्त किया गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों से भी अनुरोध किया कि वे इस फिल्म को अपने कर्मचारियों के लिए देखने की व्यवस्था करें ताकि फिल्म का व्यापक प्रभाव हो सके।

केंद्रीय बजट में जी-20 की सहमति को लागू किया जाएगा...?

नई दिल्ली, एजेंसी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बुधवार को सवाल उठाया कि क्या भारत में जी-20 की घोषणापत्र में नेताओं द्वारा की गई सहमति के अनुसार अल्ट्रा-हाई नेटवर्थ (यूएचएनआई) व्यक्तियों पर प्रभावी रूप से कर लगाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंगलवार को अपनाए गए जी-20 रियो डी जेनेरियो नेताओं के घोषणापत्र के पैरा 20 में लिखा था कि हम अल्ट्रा-हाई नेटवर्थ व्यक्तियों पर प्रभावी रूप से कर लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करेंगे।

वित्त मंत्री से सवाल

इसके साथ ही कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री अगले केंद्रीय बजट 2025-26 को 75 दिनों से भी कम समय में संसद में पेश करेंगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा कि क्या यह सहमति बजट में दिखाई देगी? उन्होंने कहा कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 334 अरबपति हैं, जिनमें से प्रत्येक की कुल संपत्ति एक बिलियन डॉलर से ज्यादा है और यह संख्या बढ़ रही है।

दिव्यांग बच्चों के लिए ई-पाठ्य सामग्री तैयार करने के दिशानिर्देश जारी

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्र सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए ई-पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के समान अवसर मिलें और उनके लिए डिजिटल सामग्री सुलभ हो। नई दिशा-निर्देशों के तहत, सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई ई-पाठ्य सामग्री का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा है, जो उनके विभिन्न शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसमें दृष्टिहीन, श्रवण दोष, बौद्धिक विकलांगता और अन्य विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग-अलग शैक्षिक साधन और उपकरण शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि इस पहल से दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी और वे सामान्य बच्चों की तरह उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने यह भी बताया कि इन दिशानिर्देशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया जाएगा, जो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है।

कानून से बड़ा ट्रैक्टर डीलर का रसूख

किसान को कूटरचित दस्तावेजों से ट्रेक्टर बैचने वाले डीलर को बचा रही पेटलावद पुलिस

माही की गूंज, झाबुआ।

कहते हैं पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती फरियादी को आरोपी और आरोपी को फरियादी बना दे। कानूनी कलम की यही जादूगरी इन दिनों दिखाकर पेटलावद पुलिस थाने के जांच अधिकारी अगराल के किसान कमलेश गुर्जर के साथ पुराने ट्रैक्टर को फर्जी बिल के जरिए नया बताकर बेचने वाले धोखाधड़ी के आरोपियों को बचाने के लिए कर रही है। कहते हैं न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन अपने साथ हुई इस खुली धोखाधड़ी के प्रकरण में न्याय पाने के लिए अगराल के किसान कमलेश गुर्जर ने पेटलावद थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक व जनसुनवाई तक हर जगह गुहार लगाई। और जिस प्रकरण में पेटलावद थाना प्रभारी को प्राथमिकी दस्तावेजों के आधार पर ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अंतर्गत गंभीर गैर जमानती धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करनी थी। उसमें फरियादी को आरोपियों के रसूख के आगे नतमस्तक होते हुए उपभोक्ता फोरम में जाने की सलाह दी जा रही है जो न्याय का खुला चीरहरण है।

यह है पूरा मामला

अगराल के रहने वाले किसान कमलेश गुर्जर ने पेटलावद के मां ट्रैक्टर शोरूम से दिनांक 1 अक्टुम्बर 2023 को एक ट्रैक्टर शोरूम से जिसके मालिक अरुण जायसवाल और प्रबंधक धर्मेंद्र माली है से रेड/ग्रे कलर का एक ट्रैक्टर खरीदा था। जिसके मॉडल का नाम एमएफ 241 डायनाट्रैक था। इस ट्रैक्टर का चेचिस नंबर एमईए 83315 एपी 2461597, इंजन नंबर एस 3251 एओ 6129 था। इस ट्रैक्टर को ट्रैक्टर शोरूम संचालक द्वारा 7 लाख 20 हजार रुपये कीमत के ना सिर्फ एक विक्रय बिल के साथ जिस बिल का नंबर जीएसटी2023/79 है। बल्कि इसी ट्रैक्टर को एक कमलेश पिता रत्तीचंद गुर्जर के नाम का बीमा पॉलिसी जिस पॉलिसी का नंबर एवीओ/2375/10902815 है जो ट्रैक्टर विक्रय किया गया था। जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कमलेश गुर्जर द्वारा कई बार शोरूम संचालक से मांगे जाने पर भी उन्हें नहीं दिया गया।

कमलेश गुर्जर के ट्रैक्टर का बीमा खत्म होते ही खुल डीलर की धोखाधड़ी का राज

कहते हैं सच पाताल में छिपा हो फिर भी बाहर आकर ही रहता है। ऐसा ही कुछ कूटरचित दस्तावेजों से अगराल के किसान कमलेश गुर्जर के साथ धोखाधड़ी कर पुराना ट्रैक्टर विक्रय करने वाले शोरुम के मालिक द्वारा की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। जब कमलेश गुर्जर एक साल बाद अपने इस ट्रैक्टर के खत्म हुए बीमे को रिनिवल करवाने गए। तो उक्त ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन पहले से ही ग्राम अंबासोटी तहसील कुक्षी जिला धार के निवासी वालसिंह पिता उकारसिंह के नाम आरटीओ कार्यालय धार में 15 जून 2023 से ही रजिस्टर्ड निकला। जिसके बाद कमलेश गुर्जर ने अपने साथ हुई उक्त धोखाधड़ी,जालसाजी की शिकायत पुलिस अधीक्षक की जनसुनाई से लेकर पुलिस थाना पेटलावद तक सभी से की। लेकिन पुलिस सीधी एफआईआर दर्ज करने के बजाए रसुखदार ट्रैक्टर शोरूम के मालिक को बचाने के लिये जांच-जांच का खेल खेलने में लग गई।

पुलिस को सिर्फ दो दस्तावेज ही काफी थे गंभीर धाराओं में सीधी एफआईआर दर्ज करने के लिए

पहला दस्तावेज कमलेश गुर्जर को ट्रैक्टर शोरूम द्वारा दिए गए ट्रैक्टर विक्रय का बिल जो दिनांक 1 अक्टुम्बर 2023 दिया गया था। उस पर अंकित ट्रैक्टर के इंजिन नंबर एस 3251एनओ 6129 है और चेचिस नंबर एमईए 83315एपी 2461597 है। ये नम्बर ठीक वही थे जो धार आरटीओ में 15 जून 2023 को 4 महीने पहले ही वालसिंह पिता ओंकार सिंह के नाम ट्रेक्टर रजिस्टर्ड था। तो उसके ट्रैक्टर का उसी इंजन और चेचिस नंबर का फर्जी और कूटरचित बिल जारी करना ही गंभीर अपराध है। चलिए ये मान भी ले के बिल मानवीय भूल से गलत इंजन नंबर चेचिस नंबर अंकित हो जाने से जारी हो गया हो। मगर फिर किसी और के नाम (वालसिंह)पर पहले से रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की बीमा पॉलिसी कमलेश गुर्जर के नाम पर शोरूम संचालक ने कैसे बनवा दी...? यह सिर्फ पेटलावद पुलिस ही नहीं बल्कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) के अनुसंधान का भी विषय है कि कहीं इसी तरह बैक डेट की फर्जी बीमा पॉलिसी बनाकर बीमा कंपनी और ट्रैक्टर शोरूम के मालिक साठगांठ कर एक्सीडेंटल के प्रकरणों में क्लेम तो स्वीकृत करवाने का कोई खेल नहीं खेल रहे। और इस खेल के जरिए केंद्र सरकार को करोड़ों का चुना तो नहीं लगाया जा रहा है। साथ ही मान लीजिए इस ट्रैक्टर के साथ कमलेश गुर्जर को इस शिकायत से पहले आरटीओ या पुलिस रोड़ पर रोकती और वैध दस्तावेज मांगती और कमलेश गुर्जर यही बीमा और बिल दिखाते और तब ट्रैक्टर वालसिंह के नाम पर दिखाता, तो क्या पुलिस कमलेश गुर्जर पर ऐसी ही मेहरबानी दिखाती जैसी अभी इस रसूखदार ट्रैक्टर शोरूम संचालक पर दिखा रही है। शायद नहीं और अभी तक तो कमलेश गुर्जर जेल में होते। कुल मिलाकर पेटलावद पुलिस, शोरूम संचालक और मैनेजर को सीधे-सीधे उस अपराध का आरोपी बनाने से बचा रही है जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) छल करना, 335 (फर्जी दस्तावेज तैयार करना, 336(3) छल के प्रयोजन के लिए कुटरचना, 336(4) किसी की ख्याति को नुकसान पहुंचाने के लिए कूट रचित दस्तावेज तैयार करना, 338 मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना, 340(1)कूट रचित दस्तावेजों को असली के रूप में उपयोग करना। सहित कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज होकर गिरफ्तारी हो जानी थी। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए लोगों को समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन करके अधिकारी अपने मनमाने तरीकों से कानूनों का क्रियान्वयन और उपयोग करते है। जो आम लोगों के लिए अलग और रसूखदारों के लिए अलग होता है।

फरियादी को जांच का प्रतिवेदन ही नहीं दे रही पुलिस

उक्त पूरे प्रकरण में कमलेश गुर्जर द्वारा की शिकायतों की जांच में उक्त पुराने ट्रैक्टर को जांच हेतु पेटलावद थाने में रखा गया था। अब पेटलावद पुलिस लगभग 1 माह की जांच के बाद पीड़ित को उपभोक्ता फोरम में जाने का पत्र से सलाह दे रही है। जबकि यह सीधा गंभीर अपराधिक मामला है। जब कमलेश गुर्जर ने इस पूरे प्रकरण की जांच के दस्तावेजों की प्रमाणित नकल मांगी तो उन पर पेटलावद थाना प्रभारी ट्रैक्टर ले जाने का दबाव बनाने लगे और कहने लगे ट्रैक्टर ले जाओ तभी जानकारी मिलेगी। अब जब ट्रैक्टर का मलिक ही संबंधित नहीं है और उसका मालिक वालसिंह पिता ओंकार सिंग है। तथा न ही वर्तमान में इस ट्रैक्टर का बीमा है। उस वाहन को किसान कमलेश गुर्जर को ले जाने के लिए पुलिस केसे कह सकती है...? ये समझ से परे है। और तो और बकायदा इस ट्रैक्टर की सुपुर्दगी देने के लिए पुलिस ने विधि विरुद्ध एक पत्र भी किसान को लिख कर व्हाट्सएप पर भेज दिया। माही की गूंज की सलाह है इस केस में पेटलावद पुलिस जितना ज्यादा घुमावदार कलम की जादूगरी दिखाकर रसूखदार ट्रैक्टर शोरूम के मालिक को बचाएगी, उतना ही अधिक फंसती चली जाएगी।

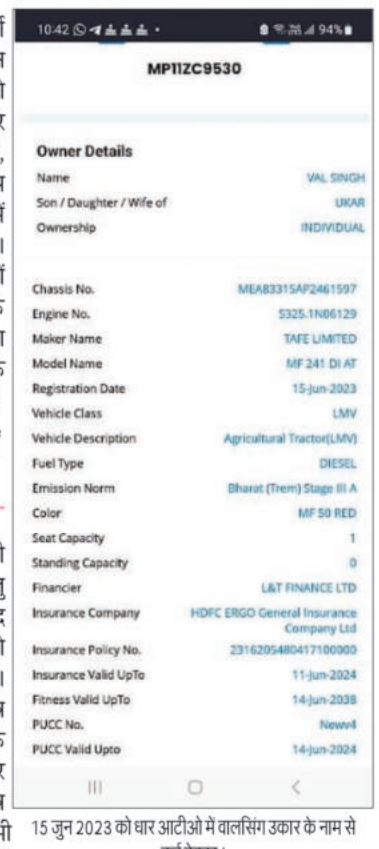

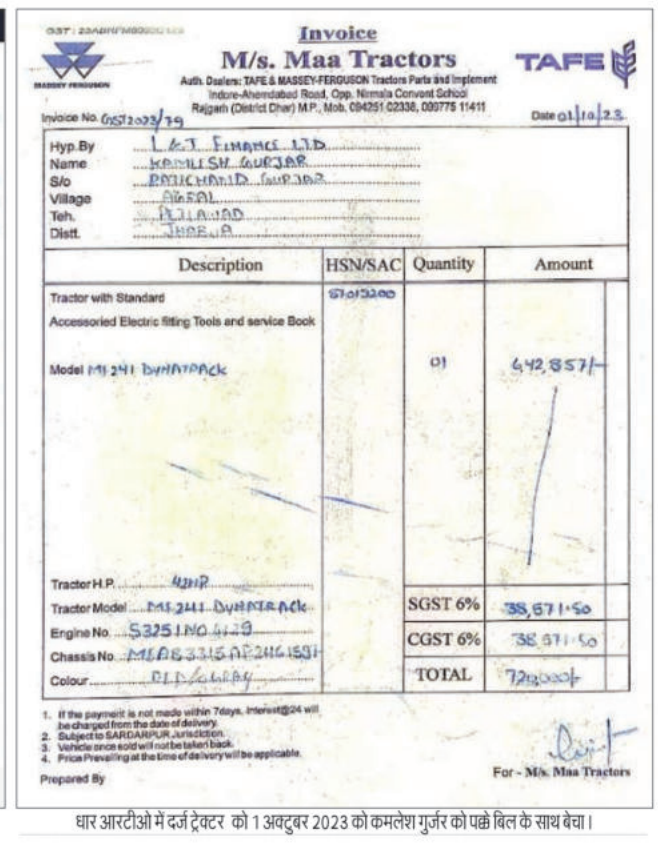

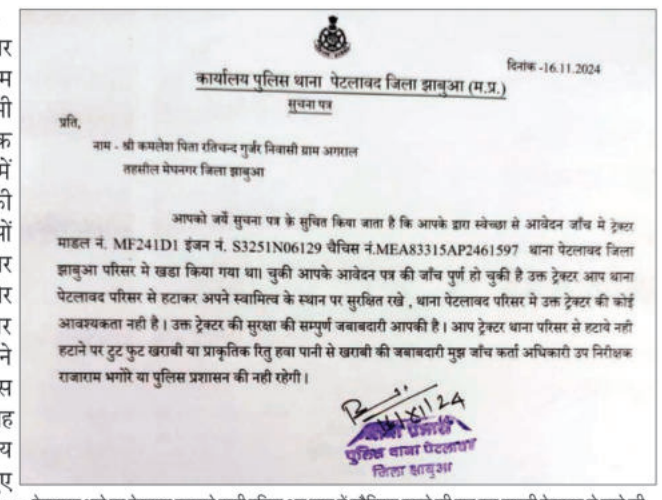

पूरे प्रकरण में पुलिस अधीक्षक की छवि को भी जिले भर में धुमिल किया

इस फर्जी दस्तावेजों से ट्रैक्टर विक्रय के प्रकरण की कहानी सुन और अखबारों में रोज पढ़कर जिले के लोग चौराहों -चौराहों पर पुलिस की कार्यप्रणाली की जमकर आलोचना कर रहें हैं। वही पुलिस पर पैसे लेकर रसूखदार ट्रैक्टर शोरूम मालिक को बचाने के आरोप भी लगा रहे हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल ने जिले में दहेज प्रथा, मोताणा प्रथा में पैसे की मांग वाली प्रथा, एक्सीडेंटल केसों के पैसे की मांग जैसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास किया और जो ख्याति कमाई थी उस पर पेटलावद पुलिस काला बट्टा लगाने का काम कर रही है। अब पुलिस अधीक्षक को ठोस कार्रवाई कर यह साबित करना चाहिए कि, न्याय सर्वोपरि है और उनके होते हुए किसी वास्तविक पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होगा।

15 जुन 2023 को धार आटीओ में वालसिंग उकार के नाम से दर्ज ट्रैक्टर।

धार आरटीओ में दर्ज ट्रैक्टर को 1 अक्टूबर 2023 को कमलेश गुर्जर को पक्के बिल के साथ बेचा।

पेटलावद थाने पर टेक्टर बुलवाने वाली पुलिस अब जाव में रखैलिक रखने की बात कर वापसी टेक्टर ले जाने की बात कर रही पुलिस।

नेशनल लोक अदालत 14 दिसंबर को

माही की गूंज, झाबुआ।

जिला झाबुआ एवं उसकी समस्त तहसीलों में 14 दिसंबर 2024 को इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण राजीनामे व सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ की अध्यक्ष श्रीमती विधि सक्सेना प्रधान जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में अधिवक्तागण, बीमा कंपनी, बैंक, नगर पालिका, विद्युत वितरण कंपनी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ प्रीसिटिंग बैठक आयोजित की जावेंगी। विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से भी लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पक्षकारों को शामिल होने की सलाह दी जा रही है और लोक अदालत के लाभ बताए जा रहे हैं।

वर्ष की इस अंतिम नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस केस, परिवार न्यायालय के नियमित मामलों और प्रीलिटिगेशन मामलों के अंतर्गत बैंक ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत नगर पालिका के वसूली प्रकरण व चेक बाउंस आदि के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इस बार नेशनल लोक अदालत में उपभोक्ता प्रतितोष प्राधिकरण के मामलों को भी शामिल किया गया है अतः उपभोक्ता मामलों से संबंधित समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण भी नेशनल लोक अदालत में किया जावेगा।

उप निर्वाचन हेतु रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त

माही की गूंज, झाबुआ।

मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम, 1993 की धारा-42, सहपठित मध्यप्रदेश निर्वाचन नियम, 1995 के 20 तथा 21 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना द्वारा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के पत्र तथा आदेश में दिए निर्देशानुसार पंचायत नवापाडा जनपद पंचायत थांदला के उप निर्वाचन 2024 उत्तरार्द्ध हेतु प्रभारी तहसीलदार तहसील थांदला अनिल बघेल को रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) तथा नायब तहसीलदार तहसील थांदला पलकेश परमार को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) पदाभिहित किया जाता हैं। संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) का अधिकार क्षेत्र पंच नवापाडा वार्ड क्रमांक 5 होगा।

शिक्षा के स्तर को नीचे गिराता अंचल के जनजातिय लोगों का पलायन

झाबुआ। शिक्षा समाज को वो शस्त्र है जिसके हाथ में आ जाने से बहुताय कुरिति एवं अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। सरकार क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए अनेकोनेक जतन कर रही है मगर अधिक से अधिक प्रयास के बाद भी सरकार को अंचल में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। जिला स्तर पर कलेक्टर विद्यालयों और छात्रावासों में जाकर गुणवत्ता की परख कर उसे परिपक्व करने के लिए भ्रमण कर रहें हैं परंतु शाला त्यागी बच्चों के लिए किए जा रहें प्रयासो में प्रशासन पंगु की तरह प्रतित हो रहा है। साथ ही इसके, अंचल में होता पलायन जनजातिय क्षेत्र के बच्चों और विद्यार्थियों के लिए एक ऐसे दर्दनाक रोग की तरह है जिसमें छात्रों का भविष्य अज्ञानता के अंधकार का ग्रास बनता दिखाई दे रहा है वहीं जिन विद्यार्थियों का भविष्य इस घने अंधकार के कुएं में पहले से ही गुम हो चुका है वे भी इसी पीड़ा के साथ अपनी पीढ़ी को भी बचाने में असमर्थ है। इस असक्षमता का कारण सरकार और उनकी आधी फलीभूत होती योजना जिसे प्रशासन संचालित करने में कमजोर है, फिर प्रशासन पर चढ़ा भ्रष्ट्राचार का भूत नेताओ के अधीन आकर निर्धन लोगों को अज्ञानता के काले घने अंधकार वाले कूप में गिरा रहा है, जहां से चाह कर भी वो निकल नहीं पाते और अपनी पीढ़ियों को उसके पार लगाने में आर्थिक और सामाजिक बल से निष्क्रिय हो जाते है।

पलायन पर जाते पति पत्नी न चाहते हुए भी अपने बच्चों को ले जाते है, क्योंकि सीधी सी बात है बच्चा बिना माता पिता के घर पर कैसे रहें, उसका लालन पालन पोषण कौन करे... इसलिए मजबूरी में बच्चों को साथ में पलायन पर ले जाना ही पड़ता है। इस विवशता के कारण बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उन्हीं के आंगन में धोबी पछाड़ खा कर गिर जाती है फिर वहीं से शुरु होती है उस बच्चें की अज्ञानता के अंधकार की दर्दनाक यात्रा, जिसमें वह मजदूरी करते मां-बाप को देखकर अपने जीवन के लक्ष्य में मजदूरी को प्राथमिकता देता है क्योंकि न तो स्कूल के बारे में सोचता है न ही उसे पढ़ाई का कोई भान होता है।

कुछ लोग पलायन पर वर्षभर के लिए जाते है और वो मुख्य पर्व होली के पहले ही वापस आते है, कुछ पलायनकर्ता वर्ष में दो बार अपने घर की क्यारी में लगे पौधो को पानी देते है। ये दोनों ही चक्र इस प्रकार के होते है कि इसमें बच्चों की पढ़ाई होना असंभव होता है, उसकी बचपन की विद्यालयिन शिक्षा उससे कोसो दूर किसी खेत में या किसी बिल्डींग में या फिर किसी फेक्ट्री में माता-पिता की मजदूरी में महीन हो कर मर जाती है। पलायन का एक प्रकार और भी होता है जिसमें आंचलिक मजदूर बुआई, कटाई के समय जाकर यहां वहां अपने परिवार के साथ टोलियों में एक शहर से दूसरे शहर जाते है। इस चक्र में भी बच्चों की शिक्षा का मर्दन होता है, अधिकतर बच्चें तो ऐसे भी होते हैं जिनका तो गांव की आंगनवाड़ी में नाम भी नहीं लिखा जाता, बाद में उसी का नाम दर्ज कर वहां गर्भवती माता और बच्चें को मिलने वाले लाभ को गायब कर दिया जाता है।

जीवन यापन के इस निःसहाय वृत्त में जिन बच्चों के शिक्षित होने पर प्रभाव डालता है वो जब इतने बड़े हो जाते है कि घर रुक सके तब कहीं उसको शाला में प्रवेश करवाया जाता है जहां वे अन्य छात्र-छात्राओं से शरीर और आयु में बड़े होते हैं, इन बच्चों में महज 2 प्रतिशत बच्चें होते है जो पढ़ाई की सिढ़िया चढ़ते हैं बाकी सभी निर्धनता के भाव में सिढ़िया चढ़ नहीं पाते या फिर वे फिसलकर पहले पायदान पर ही आ जाते है और उस पायदान से वो बच्चें पलायन की दिशा में अस्त होते सुरज की गति को देखकर फिर किसी रात के अंधेरे में अपने अज्ञानता से भरे अंधकार के जीवन की शुरुआत करते हुए घर ग्राम शहर जिला और राज्य छोड़कर पलायन कर जाते है।

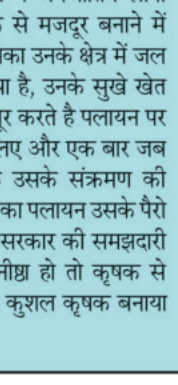

कुछ बच्चों के जीवन में कक्षाएं शुरु तो हो जाती है किंतु कार्य की अधिकता, परिवार की जिम्मेदारी और गांव की भूमि बचाने की ललक माथे पर मेहनत का पसीना ला ही देती है। एक परिवार जिसमें शराबी पिता, दिहाड़ी मजदूरी करती माता, एक बेटा जो मशीन सुधारने की दुकान पर मजदूरी करता और एक बेटी जो लोगों के घर की साफ सफाई का कार्य करती है। उस परिवार की इस दशा को देखते हुए जब इस कारण पर पहुंचा तो निर्धनता के वश में परिवार का पलायन प्रमुखता से सामने आया। परिवार के पास भूमि होते हुए भी वो खेती नहीं कर पाए क्योंकि जल की समस्या से खेत जुज रहा था, बारिश के मौसम में फसल कभी तो लाभप्रद होती तो कभी अर्थ का भी अनर्थ कर देती। जीवन एक दंश सा बन गया मजबूर होकर परिवार के मुखिया ने अपनी पुरखो की भूमी को सहुकारों के कर्जे से मुक्त होने के लिए बेच दी ताकि उसके बेटे कर्ज के बोझ में न रहें। उसके बाद उसके बेटो ने अपने जीवन की नैया को पार लगाने के लिए मजदूरी की राह अपनाई और पलायन कर गए। पिता की उस भूमि को भी एक बेटे ने बेच दिया जिस पर वो घर बना सकता था और शहर छोड़ कहीं दूर जा बसा। दूसरे बेटे ने अपने अतित के दर्दों को मिटाने के लिए शराब का सेवन शुरु कर दिया और दिहाड़ी मजदूरी कर साथ में स्वयं की मेहनत पर पिता की उस भूमि पर निवास के लिए एक मकान बना दिया। लेकिन निर्धनता की विवशता ऐसी रही की एक दिन भी यदि कार्य न किया जाए तो भूख की अगन को पानी से बुझाने की कोशिश में रात बितानी पड़ती, और इसी कारण से उस परिवार के पिता को नशे की लत लगी और बच्चें शिक्षा के उजाले की ओर आगे नहीं बड़ पाएं।

रिंकेश बैरागी

सरकार पहले तो पलायन की मुख्य बिंदुओ को चिन्हनीत करें और कर भी लिए हो तो उस पर आने वाली समस्या के सारे छोर को देखते हुए उनका गहनता से अध्ययन कर उन सारी समस्या के समाधान की ओर कदम बढ़ाने के क्रियाकलापो को कर्यव्य परायणता के साथ करे तो निश्चत ही जनजातिय क्षेत्र के लोगों को पलायन के इस दर्द से भरे हुए रोग से छुटकारा मिलेगा।

अंचल में जनजातिय लोगों को कृषक से मजदूर बनाने में मुख्य भूमिका उनके क्षेत्र में जल की समस्या है, उनके सुखे खेत उन्हें मजबूर करते है पलायन पर जाने के लिए और एक बार जब पलायन से पीड़ित व्यक्ति उसके संक्रमण की चपेट में आ जाता है तो उसका पलायन उसके पैरो को जकड़ लेता है लेकिन सरकार की समझदारी और प्रशासन की कर्तव्यनीष्ठा हो तो कृषक से मजदूर बने लोगों को फिर कुशल कृषक बनाया जा सकता है।

आखिर अंधे बने रहने का ये नाटक कब होगा खत्म...?

माही की गूंज, झाबुआ।

जी, हां। हम अपनी पूरी बेबाकी के साथ शासन के नुमाइन्दे एवं प्रशासनिक जवाबदारों से ये सवाल करते हैं कि, आप के द्वारा सब कुछ जानकर भी आखिर आप अंधे बने रहने का यह नाटक कब खत्म करोगे...?

कहते हैं दाई के सामने किसी का पेट छुपा नहीं रह सकता है। उसी तर्ज पर हम यहा जवाबदार अधिकारियों को दाई की संज्ञा देते हैं। और मानते हैं कि, जमीनी स्तर पर जो भी अनियमित्ता व भ्रष्टाचार हो रहा है प्रशासनिक जवाबदार या शासन के नुमाइन्दे (दाई) को सब कुछ मालूम है और दाई भले ही पेट को नहीं जाचे तो भी दूर से देखकर ही वस्तु स्थिति गर्भ की बता देती है। लेकीन जवाबदार अधिकारियों के द्वारा सबकुछ जानकर भी अपनी अनदेखी के चलते जिले में हो रही अनियमित्ताओं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके बदले तय कमीशन के रूप में मोटा पैसा भी जवाबदार अधिकारी ले रहे हैं। इसके कारण भ्रष्टाचार व बड़ी अनियमित्ताएं बैखोफ होकर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है।

हमने रतनाली में मध्यान्ह भोजन में मिली अनियमित्ता व उसके बाद एक नायाब तहसीलदार के निर्देशों का पालन ईमानदारी से करने के बजाए एक बीआरसी के माध्यम से एक प्रतिवेदन प्राप्त कर किस तरह से पूरा पटाक्षेत्र मामले का कर दिया। जिसको हमने पिछले 14 नवंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। समाचार के प्रथम कालम में ही हमने लिखा था कि, यह सही है कि जवाबदार अधिकारी अगर अपना कार्य पूर्ण रूप से निष्पक्ष और ईमानदार से करे तो कहीं पे भी अनियमितता या भ्रष्टाचार नहीं रहे और नहीं दिखे। लेकिन जब बागड़ ही खेत को खाने लगे तो ऐसे में जमीनी स्तर पर अनियमितताएं व भ्रष्टाचार होना लाजमी है।

कालम में लिखी यह बात ही पूर्ण रूप से सही व सत्य भी है। जिसका उदाहरण प्रकाशित समाचार के दूसरे दिन भी 15 नवंबर को खवासा क्षेत्र में ही देखने को मिला। वही कल्याणपुर में भी मध्यान्ह भोजन खाकर मासूम बच्चों की जान पर आ बनी और चिकित्सालय तक बच्चों का ईलाज करवाना पड़ा।

15 नवंबर को देर शाम थांदला एसडीएम तरुण जैन व बीईओ दीपेश कुमार सोलंकी ने बालक छात्रावास खवासा, जनजातिय बालक व कन्या आश्रम मकोडिया का निरीक्षण किया। जिसमें प्रथम द्रष्टिया ही अधिकारियों के खुलासे अनुसार ही सामने आया कि, शासन की योजनाओं का किस तरह से मखोल उड़ाया जा रहा है। और किस तरह से बंदर-बाट के साथ ही अनियमितताएं की जा रही है। निरीक्षण में सामने आया कि, खवासा छात्रावास में रजिस्टर में दर्ज तो 50 बच्चे थे पर मौके पर छात्रावास में 15 ही बच्चे उपस्थित थे। साथ ही आरओ वाटर सिस्टम खराब था। शौचालय में भी सफाई नहीं मिली। छात्रो ने अधीक्षक की उपस्थिति में ही एसडीएम श्री जैन को बताया कि, उन्हें मेन्यु अनुसार भोजन नहीं मिलता है । वही माही की गूंज की जानकारी में यह भी सामने आया कि, बालक छात्रावास में ट्यूबवेल की मोटर ही गायब कर दी गई और निरीक्षण पर आए अधिकारियों को अधीक्षक ने बता दिया कि, ट्यूबवेल की मोटर चोरी हो गई। लेकिन मोटर चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं की गई, वहीं वरिष्ठ अधिकारियों को भी लिखित कोई सूचना नही दी गई ! ऐसे में मोटर चोरी की बात कहां तक सही मानी जा सकती है...? लेकिन अधिकारी ने भी इस बात को उजागर नहीं किया। वहीं केश बुक में भी अनियमित पाई गई।

जब हमारे प्रतिनिधि ने अधीक्षक रमेश गुंडिया से इस मामले में बात की तो, मोटर चोरी की बात पर टाल-मटोल कर मोटर खराब हो गई की बात कह कर बाद में बताता हूं कहकर फोन काट दिया। बाद में जब जानकारी हेतु फोन लगाया तो जवाब देने से बचने के लिए रमेश गुंडिया ने फोन नहीं उठाया।

वहीं मकोडिया में निरीक्षण के दौरान बालक आश्रम में तो स्थिति ठीक-ठाक मिली। लेकिन कन्या आश्रम में 50 की जगह दो छात्राएं ही उपस्थित मिली। साथ ही अधीक्षिका का पति भी कन्या आश्रम में ही मिला। वहीं कई अनियमितताएं भी सामने आई।

जिसके बाद मंगलवार को कल्याणपुर क्षेत्र के गोपालपुरा के वसुनिया फलिया स्थित आंगनबाड़ी में बच्चों को खीर-पूड़ी खिलाई गई। लेकिन उक्त विशेष मध्यान भोजन सामग्री में भी गुणवत्ता की अनियमिताएं सामने आई। जिसके चलते बच्चे खीर-पूड़ी खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए और बच्चों को उल्टियां होने लगी तथा पेट दर्द होने के चलते परिजनों के द्वारा करीब 16 बच्चों को कल्याणपुरा अस्पताल में उपचार हेतु लाया गया। जहां डॉक्टरों द्वारा उपचार करने के बाद बच्चों को सुरक्षित होना बताया गया।

यहां बात अनियमितताएं व भ्रष्टाचार की नहीं करें, परंतु यहां अनियमितताएं, अनदेखी व भ्रष्टाचार के चलते देश के भविष्य पर सवाल खड़े होते हैं! जहां जवाबदार अधिकारी अपनी जवाबदारी का निर्वहन सिर्फ कमीशन खोरी के चलते ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। जिसका नतीजा यह है की शासन द्वारा बच्चों को कई योजनाओं मे दिया जाने वाला लाभ व इसी योजना के तहत गुणकारी मध्यान्ह भोजन देने वाली व्यवस्थाओं में सेंध लगाया जा रहा है। वही चंद पैसों की खातिर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के साथ उनकी जान से भी खिलवाड़ करने में कोई चूक नहीं कर रहे हैं। यदा-कदा रतनाली, खवासा, मकोडिया व कल्याणपुरा जैसे मामले सामने आ जाने के बाद भी पीछे से जांच के नाम पर सीधे रूप से संबंधित कर्मचारी व समूह को बचाने का कार्य किया जाता रहा है। ऐसे में हमारा यहां यही सवाल खड़ा होता है कि, जवाबदार अधिकारी आखिर अंधे बने रहने का ये नाटक कब खत्म करेंगे...? और कब हमारे देश का भविष्य सुरक्षित होगा...?

लोकगीत प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

माही की गूंज , पेटलावद।

नगर मे स्थित शासकीय महावीर महाविद्यालय में शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के तत्वाधान में आयोजित भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत संस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है । जिसके अंतर्गत मंगलवार को भारतीय संस्कृति के लोकगीत प्रतियोगिता का आयोजन प्रभारी प्रचार प्रोफेसर घनश्याम दास बैरागी के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक सुनील मोरे सर द्वारा किया गया एवं संचालन डॉक्टर संगीता गोकर्ण द्वारा किया गया । लोकगीत प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं अपनी प्रतिभा का परिचय दिया । प्रतियोगिता के दौरान महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे लोकगीत प्रतियोगिता के प्रतिभागियों ने अपनी मधुर आवाज से एक समा बांध दिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बीएससी की छात्रा रानू परमार ने प्राप्त किया एवं द्वितीय स्थान बीए प्रथम वर्ष की छात्रा रानू कटारा ने प्राप्त किया कार्यक्रम के दौरान डॉ भूपेंद्र सिंह डॉक्टर नेहा रघुवंशी डॉ अमृतलाल परमार एवं डॉ सुरेंद्र कुशवाहा उपस्थित रहे।

नि :शुल्क हुई साइकिल वितरण

माही की गूंज, सारंगी।

स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओ को मिलने वाली निशुल्क साइकिलों का वितरण , महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ,जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी व मंडल अध्यक्ष के आतिथ्य में किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने माता सरस्वती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलितकर पुष्प माला पहनाकर किया। मंच पर विराजीत सभी जनप्रतिनिधियों का समन्वयक अधिकारी श्रीमति रेखा गिरी ,कन्या संकुल सारंगी संकुल प्राचार्य नितिन परमार ,बालक संकुल प्राचार्य राम सिंह कटारा एवं दोनों स्कूल के स्टाफ ने जन प्रतिनिधियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुश्री भूरिया ने छात्र-छात्राओं से कहा आज मुझे छात्र ,छात्राओं को मध्य प्रदेश शासन की ओर से मिलने वाली निशुल्क साइकिल वितरण करने का मौका मिला है। इस बहाने बच्चों से मिलने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा की माता-पिता ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है इसलिए हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़े, आप पढ़ लिखकर कलेक्टर, एसडीएम, डॉक्टर, तहसीलदार, इंजीनियर, पटवारी, बनोगे तो इससे माता-पिता का नाम रोशन होगा। स्कूल में गुरु जी जो बताएं उसे अच्छे से समझना और समझ में ना आए तो उनसे बार-बार पूछना। मन लगाकर पढ़ाई करना आपको सफलता जरूर मिलेगी। मंडल अध्यक्ष सुखराम मोरी ने भी बच्चों को पढ़ाई ओर खेल गतिविधियों में भाग लेने की समझाइश दी।

जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी ने कहा, पढ़ाई मन लगाकर करे, गुरु का सम्मान करे।

कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी तनुश्री मीणा , नायब तहसीलदार संजय गर्ग,जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी, जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती देव कुंवर पडियार, विधानसभा प्रभारी हेमंत भट्ट, मंडल अध्यक्ष सुखराम मोरी, वरिष्ठ नेता नविन सिंह राठौर, रमेश भाई गुर्जर, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र गहलोत, सरपंच फूंदी बाई मेडा, जिला मंत्री महैन्द्र सिंह चंद्रावत,महामंत्री रामचंद्र भुरिया, उपसरपंच रणजीत सिंह राठौर, पूर्व उपसरपंच परमानंद पाटीदार , मिडिया प्रभारी सुरेश चंद्र परिहार, अग्नि नारायण सिंह राठौर, अनिल बंबोरी, बैगनबड़ी सरपंच पप्पुलाल गामड़,बाबुलाल पाटीदार, दिनेश गणावा,हर्षवर्धन सिंह राठौर, अमीत पाटीदार,जयराज भट्ट, सहित आसपास की सभी ग्राम पंचायत के सरपंच भाजपा के वरिष्ठ एवं युवा कार्यकर्ता उपस्थित है।

पंचायत में हुआ जनसुनवाई का आयोजन

माही की गूंज , करवड़।

जिला कलेक्टर नेहा मीना के आदेश अनुसार प्रति मंगलवार को ग्राम पंचायत भवन में सुबह 11:00 से 1:00 बजे तक जनसुनवाई का आयोजन किया जाए। इसी के तहत ग्राम पंचायत करवड़ में मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन रखा गया। जिसमें वार्ड क्रमांक 12 के सूरज सुखराम गामड़ ने हनुमान मोहल्ले में नाली सफाई एवं नाली निर्माण का कार्य किया जावे । सचिव राजेंद्र रेड्डी ने तत्काल सफाई का कार्य शुरू करवाया एवं जल्द से जल्द नाली निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा इस जनसुनवाई में उपस्थित सरपंच विकास बाबूलाल गामड़, हल्का पटवारी संदीप निगवाल ,रोजगार सहायक संगीता सिनम ग्राम के राजमल भंडारी ,गौतम निनामा, भीम सिंह चौहान ,अंकित भंडारी , पत्रकार विनोद बंसीलाल शर्मा , अरुण भोला पाटीदार एवं आसपास गांव के ग्रामीण जनसुनवाई में में उपस्थित रहे।

ग्रामीणों को नहीं मिल रही 24 घंटे लाइट

माही की गूंज, खवासा।

खवासा ग्रिड के अंतर्गत रन्नी फिटर की विद्युत व्यवस्था इन दिनों अधिक लोड होने के कारण चरमरा सी गई है। जिससे ग्रामीणों को 24 घंटे घरेलू फेस की लाइट उपलब्धि नहीं हो पा रही है, ग्रामीणों ने बताया कि, जैसे ही रबी की सीजन आती है, हर साल यही स्थिति निर्मित होती है। जबकि खवासा, भामल आदि ग्रामो में ठेकेदार द्वारा केबल का कार्य भी कर दिया गया है। लेकिन फिर भी यह समस्या रबी सीजन में हमेशा आती ही है। वहीं कम वोल्टेज की वजह से कई उपकरण भी खराब हो रहे हैं।

लाइनमैन के साथ ही विभागीय अधिकारियों को अवगत करने पर उनका यही कहना है कि, अधिक लोड होने के कारण वह एक फेस में तीन फेस कन्वर्ट करके सभी जगह लाइन दी जा रही है। वही सिंचाई के लिए खेत मे मोटर चल रही है, इसके कारण यह परेशानी आ रही है। जबकि शासन का स्पष्ट नियम है कि, ग्रामीणों को घरेलू के लिए 24 घंटे विद्युत व्यवस्था एवं सिंचाई के लिए रात्रि में 4 घंटे सुबह 6 घंटे विद्युत व्यवस्था कीसानो को देने का प्रावधान है। वहीं अधिकारियों की दबी जुबान से यह भी बात सामने आ रही है कि, लोड अधिक बढ़ने के कारण वोल्टेज की समस्या हो रही है। अधिकारी, ग्रामीणों को संतुष्ट करते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि, एक या दो माह तक यह परेशानी रहेगी उसके बाद समस्या का समाधान हो जाएगा।

ग्रामीणों ने बताया कि, हमें तो 24 घंटे एक फेस मिलना चाहिए वह क्यों नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार दोपहर में 12 बजे बाद हमेशा लाइट कम वोल्टेज(डिम) नजर आती है तो शाम को 6 बजे जैसे ही शेड्यूल चेंज होता है तो विद्युत व्यवस्था हमें फूल वोल्टेज मिलता है। उसके बाद रात्रि में 12 व दो बजे फिर वही कम वोल्टेज वाली स्थिति निर्मित हो जाती है, सुबह जल्दी फिर वोल्टेज कम हो जाता है। कम वोल्टेज

3 वर्ष से अधिक समय से जमे हुए जेई साहब

प्रशासन का नियम है कि 3 वर्ष से अधिक समय सीमा पर एक अधिकारी एक ही जगह पदस्थ नहीं होना चाहिए लेकिन खवासा विद्युत वितरण कंपनी के जूनियर इंजीनियर साहब जो अभी प्रमोशन लेकर अस्सिटेंट इंजीनियर बन चुके है। प्रमोशन होने के बाद भी साब को कुर्सी से मोह नहीं छूट रहा है। जिससे तीन वर्षों से अधिक समय होने के बाद भी यहां अंगद के पांव की तरह जमे हुए हैं। वही नियम की बात की जाए तो मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि 3 वर्ष से अधिक समय सीमा पर एक अधिकारी एक ही जगह पदस्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां सब की मिली भगत से अंगद के पांव की तरह साहब कुर्सी पर बैठकर

वही मामले को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत वितरण क्षेत्र झाबुआ सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर डीसी चौहान से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि, वहां क्या दिक्कत आ रही है मामले में पूछकर व मामला देख कर बताता हूं जो भी समस्या होगी निदान कर दिया जाएगा।

विदा हुआ धर्म का मानसून सत्र , जैन धर्मावली ने नम आंखों से दी बिदाई

माही की गूंज , पेटलावद।

चार माह पुरे होने पर भगवान की आज्ञा अनुसार आचार्य श्री उमेश मुनिजी महाराज साहब के बुद्ध पुत्र धर्मदास गण नायक प्रवर्तक श्री जिनेंद्र मुनिजी महाराज साहब की आज्ञानुवर्ती व पुण्य पुंज पुण्य शिलाजी की शिष्या पेटलावद गौरव साध्वी श्री सुव्रताजी ,साध्वी श्री शिल्पाजी साध्वी श्री नेह प्रभाजी, साध्वी श्री हंसाजी ,साध्वी श्री करुणाजी का रायपुरिया की ओर विहार हुआ। बड़ी संख्या में श्री संघ के श्रावक श्राविकाओं ने नम आंखो से विदा किया। श्री संघ ने साध्वी श्री से चार माह मे कोई भी अविनय असाधना के लिए क्षमा याचना की तो साध्वी मंडल ने भी कोई भी धर्म विरूद्ध पा गुरु आज्ञा के विरुद्ध कहां हो करवाया हो तो उसकी क्षमा याचना की। श्री संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष मणिलाल चाणोदीया ने प्रवर्तक श्री जिनेंद्र मुनिजी महाराज साहब साध्वी श्री पुण्य शीलाजी के प्रति प्रतिज्ञता व्यक्त करते हुए बताया कि चातुर्मास में 6 मासखमण, एक श्रेणी तप ,तीन महा घन तप , एक सिद्धि तप साथ 35 से अधिक 8, 9 ,11 व 17 उपवास कि आराधना हुई । तीन सौ के लगभग तेले हुये। उपवास तेले नींवी एवं आयबींल की लड़ी चार माह तक चली। ओली जी पर 30 से अधिक तपस्वियों ने भाग लिया। प्रतिदिन सामायिक संवर करने वालों ने भी उत्साह से भाग लिया। प्रिंट मीडिया व दृश्य मीडिया ने भी चातुर्मास में साध्वी श्री के समाचारों को विशेष स्थान देकर जिन शासन की प्रभावना कि व पेटलावद नगर का गौरव बढ़ाया। सभी मंडलों के पदाधिकारी तपस्वियों का भी विशेष आभार कि इन्होंने अपना आत्म विकास किया साथ ही श्री संघ व साध्वी श्री का गौरव भी बढ़ाया। संघ की और से ऐसा ही सहयोग और प्रेम भाव बनाए रखने का निवेदन कर साध्वी मंडल ने सभी उपस्थित जन को क्रमशः पांच मंगल पाठ का श्रवण भी करवाया।

संपादकीय

मणिपुर के रिसते जख्म

कभी शांतिप्रिय माने जाने वाले मणिपुर में बीते डेढ़ साल से जारी हिंसा एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। राज्य में नए सिरे से शुरू हुई अमानवीय हिंसा व आगजनी की घटनाएं स्थिति की गंभीरता को दर्शाती हैं। इस हिंसाग्रस्त पूर्वोत्तर के हालात से निपटने में केंद्र और राज्य सरकार बेबस और उदासीन नजर आते हैं। हाल के दिनों में पनपी गंभीर हिंसा की घटनाएं राज्य नेतृत्व की क्षमताओं पर सवाल उठाती हैं। केंद्र व राज्य में एक ही दल की सरकार होने के बावजूद हिंसा न थमने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। निश्चित रूप से यह गंभीर स्थिति ही है कि दो सौ से अधिक लोगों के मारे जाने तथा हजारों लोगों के विस्थापन के बावजूद संकट का समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इन घटनाओं के बाद जनाक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा है। राज्य में कई विधायकों के घरों पर हमले व आगजनी की घटनाएं हुई हैं। यहां तक कि साठ सदस्यीय विधानसभा में सात सदस्यों वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी ने राज्य सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार संकट का समाधान निकालने तथा सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह विफल रही है। हालांकि एनपीपी के समर्थन वापस लेने से सरकार को कोई खतरा नहीं हैं क्योंकि सरकार के पास विधानसभा में पर्याप्त बहुमत है, लेकिन घटनाक्रम स्थिति की गंभीरता को जरूर दर्शाता है। साथ ही घटनाक्रम सत्तारूढ़ भाजपा को चेताता है कि वह अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। हालांकि, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य में दो दिन के दौरान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा जरूर की है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी सत्तारूढ़ गठबंधन के मंत्रियों और अन्य विधायकों से बैठक करके उन्हें समझाने की कोशिश की है।

विपक्ष मणिपुर के बेहद चिंताजनक हालात होने के बावजूद प्रधानमंत्री की अपेक्षित सक्रियता न होने का आरोप संसद से सड़क तक लगाता रहा है। वे आरोप लगाते रहे हैं कि पूरी दुनिया की खैर-खबर लेने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते। साथ ही उनका आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहा है। सवाल यह भी कि सुरक्षा बलों की निरंतर बढ़ती उपस्थिति के बावजूद स्थितियां नियंत्रण में क्यों नहीं आ रही हैं। यह भी कि लगातार हिंसा व चौपट होती कानून व्यवस्था के बाद भी कैसे पार्टी मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह पर भरोसा जता रही है। उनकी विफलताओं के बावजूद उनको हटाने की मांग को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। वह भी तब जबकि आक्रोशित जनता पार्टी विधायकों के घरों को आगजनी से निशाना बना रही है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वोत्तर का यह राज्य संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है। मणिपुर की हिंसा बीते साल मई में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के बाद शुरू हुई थी। जिसका राज्य के कुकी व नागा समुदाय ने हिंसक विरोध किया था। लेकिन यह गंभीर बात है कि पिछले डेढ़ वर्ष में राज्य के भीतर अवैध प्रवास, जमीन, जंगल, हथियारों की तस्करी व नशे के कारोबार में खासी तेजी आयी है। यहां तक कि म्यांमार से अवैध घुसपैठ की घटनाएं भी सामने आई हैं। निस्संदेह, इस संकट के तमाम आयाम हैं, जिसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इस मसले के शीघ्र समाधान की जरूरत महसूस की जा रही है। संकट इस बात का भी है कि यह संघर्ष पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी फैल सकता है। हाल के वर्षों में म्यांमार व बांग्लादेश में बदले राजनीतिक घटनाक्रम के चलते पृथकतावादियों को शह मिल सकती है, जो कालांतर भारत में कानून व्यवस्था के लिये संकट पैदा कर सकते हैं। यदि हम पूर्वोत्तर के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि पूर्वोत्तर में सामुदायिक संरचना बेहद जटिल और संवेदनशील रही है। इससे हिंसा का सिलसिला लंबा खिंच सकता है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार की कोशिश हो कि संकट का राजनीतिक व सामाजिक समाधान निकाला जाए ताकि समुदायों में सामंजस्य से हिंसा को टाला जा सके।

आव्रजन प्रतिबंधों से युवाओं के सपनों पर भी लगेगा ग्रहण

वर्ष 1990 के दशक के मध्य से भारत से विभिन्न देशों में जाकर काम करने वालों का प्रवासन बढ़ता चला गया, जिससे विदेशों में आप्रवासी भारतीयों की संख्या दुनियाभर में सबसे बड़ी बन गई। परिणामस्वरूप, भारत को मिलने वाली विदेशी मुद्रा में भी वृद्धि हुई और सर्वाधिक विदेशी धन प्राप्तकर्ताओं में से एक है। कनाडा की आव्रजन नीतियों में हुए हालिया बदलाव और संभवतः अमेरिका भी करेगा, का असर विशेष रूप से देश के उन राज्यों पर पड़ने की संभावना है, जहां से बड़ी संख्या में लोग वहां गए हुए हैं। इन सूबों में केरल, गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।

भारत के उल्लेखनीय आर्थिक प्रदर्शन में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (1991) की भूमिका का जिक्र कई अर्थशास्त्रियों और वैश्विक संस्थानों द्वारा किया गया है। इस प्रयास में, आर्थिक नीति में परिवर्तनों के साथ जी-7 राष्ट्रों के साथ भारत के संबंधों का पुनर्गठन भी हुआ, जी-20 में भारत की भागीदारी से इसमें और विस्तार हुआ। इसने भारत को भारी मात्रा में विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के अलावा घरेलू बचत की उच्च दर एवं निवेश पाने में मदद की। पिछले साल दिल्ली में जी-20 की बैठक में चीन की 'बेल्ट एंड रोड पहल' परियोजना के विकल्प के रूप में मध्य-पूर्व देशों से होकर यूरोप तक रेल संपर्क बनाने का निर्णय लिया गया।

बड़ी संख्या में शिक्षित भारतीय कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों को भी विदेशों में नौकरियां मिली हुई हैं। इसके चलते विदेशों में आप्रवासी भारतीयों क तादाद बढ़ती चली गयी, हाल के वर्षों में, दुनियाभर के आप्रवासी कामगारों द्वारा अपने घर भेजे जाने वाले पैसे के मामले में भारतीयों का योगदान सबसे ऊपर और बड़ा है। यह आर्थिक नीति और देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में संतुलन के कारण हुआ है।

भारतीय आप्रवासियों की संख्या वर्ष 2000 में 79 लाख से बढ़कर 2023 में 1.89 करोड़ हो गई। वे अपने घर जो कमाई भेजते हैं, उससे परिवार की क्रय शक्ति बढ़ती है, साथ ही आवास और कारोबार में निवेश भी। भारत की विदेशी मुद्रा आय में उनका योगदान उल्लेखनीय है। भारतीय आप्रवासियों की सबसे बड़ी गिनती अमेरिका में (44.60 लाख) है। अमेरिका के चार करीबी सहयोगी मुल्कों में यह गिनती- ऑस्ट्रेलिया (4.96 लाख), कनाडा (16.89 लाख), न्यूजीलैंड (2.40 लाख) और यूके (17.64 लाख) है जिससे इन सबमें कुल संख्या 86.49 लाख बनती है। यदि यूरोप गए आप्रवासियों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यह गिनती 1.89 करोड़ हो जाती है। मध्य पूर्व के मुल्क एक और क्षेत्र हैं, जहां भारतीयों की उपस्थिति बहुत ज्यादा है। यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और कतर में 85.77 लाख भारतीय आप्रवासी हैं।

इन दोनों क्षेत्रों की आव्रजन नीति में एक बड़ा अंतर है। जहां पश्चिमी देश आप्रवासियों को स्थायी रूप से बसने और उन्हें नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देते हैं वहीं खाड़ी देशों में यह इजाज़त नहीं है। लिहाजा आव्रजन के लिए पश्चिमी मुल्क पसंदीदा गंतव्य बन गए। 2023 में भारत को प्राप्त विदेशी मुद्रा प्रेषण में अमेरिका और उसके चार करीबी सहयोगियों का हिस्सा 35 प्रतिशत से अधिक रहा। प्राप्त कुल 120 बिलियन डॉलर में अकेले अमेरिका का योगदान 23 प्रतिशत रहा, उसके बाद यूके (6.8 प्रतिशत), कनाडा (2.4 प्रतिशत), ऑस्ट्रेलिया (1.9 प्रतिशत) और न्यूजीलैंड (एक प्रतिशत से भी कम) का हिस्सा रहा। यूरोप समेत पश्चिमी राष्ट्रों, का संयुक्त योगदान खाड़ी देशों से कुछ अधिक है, जिनकी कुल विदेशी मुद्रा आमद में हिस्सेदारी 42 प्रतिशत है। इस प्रकार इन दोनों क्षेत्रों का संयुक्त योगदान 85 प्रतिशत से अधिक है। जिससे भारत को अपने भारी विदेशी व्यापार घाटे को पूरा करने में बड़े पैमाने पर मदद मिलती है। धन प्रेषण के राज्यवार आंकड़ों से पता चलता है कि सूची में केरल सबसे ऊपर है, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं।

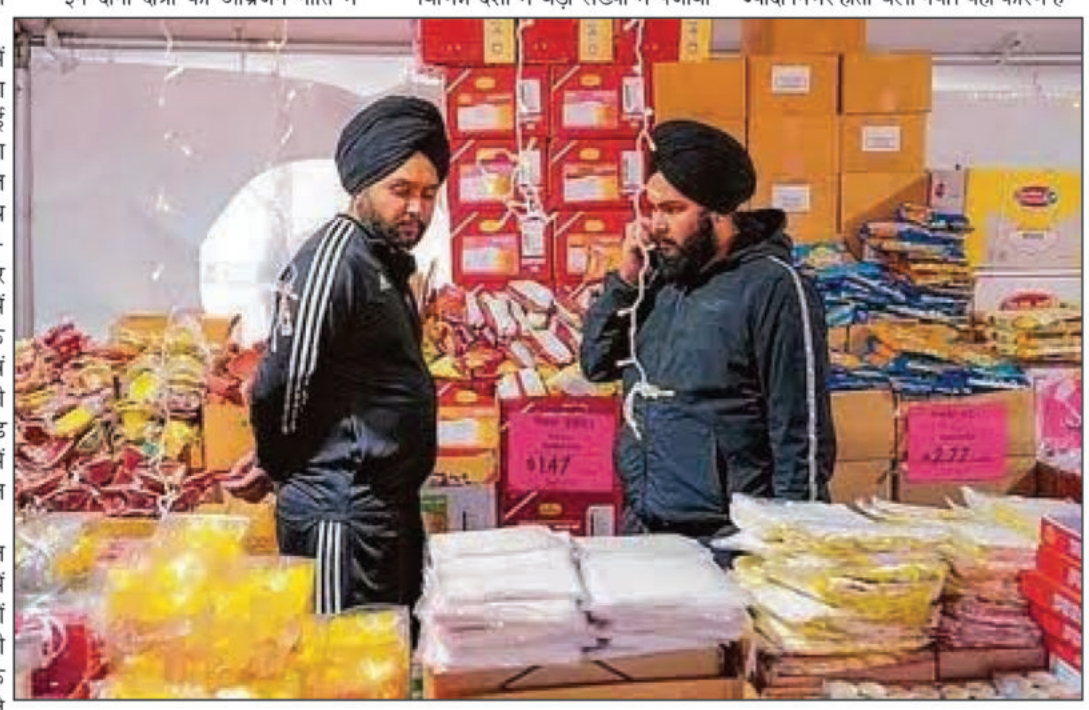

विभिन्न देशों में बड़ी संख्या में पंजाबी आप्रवासियों के बावजूद, पंजाब अभी भी इन सूबों से पीछे है। यह इसलिए कि अधिकांश पंजाबी आप्रवासी यूके, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में केंद्रित हैं, जहां वे स्थायी रूप से बस गए हैं, लिहाजा समय के साथ उनके द्वारा घर भेजे जाने वाले धन का प्रवाह कम होता चला गया। चूंकि केरल के आप्रवासी ज्यादातर यूएई और अन्य अरब देशों में रहते हैं, जहां वे स्थायी रूप से नहीं बस सकते। जिसकी वजह से उनके द्वारा भेजा पैसा सबसे अधिक है।

अन्य देशों को आव्रजन भारत के शिक्षित और कुशल कर्मचारियों के बीच बेरोजगारी का बोझ कम करने में सहायक रहा है। भारत के आप्रवासी न केवल विदेशी मुद्रा आय का बहुत बड़ा स्रोत हैं, बल्कि विदेशों में भारतीय संस्कृति और सद्भावना को भी बढ़ावा देते हैं। वे विदेशों में परंपरागत वस्तुओं की मांग भी पैदा करते हैं।

साल 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद, भारत अपनी घरेलू जरूरतों, अतिरिक्त उत्पाद एवं सेवाओं को विदेशों में निर्यात करने के अलावा अपने प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए रोजगार के मामले में भी विदेशी अर्थव्यवस्थाओं पर ज्यादा निर्भर होता चला गया। यही कारण है कि पश्चिमी देशों की आव्रजन नीतियों में बदलाव इसे गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। कनाडा की आव्रजन नीति में हाल ही में कई बदलाव हुए हैं जैसे मल्टीपल-एंट्री विजिटर वीजा खत्म करना। एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव है, स्थायी निवास यानी पीआर प्रावधान को लेकर। इससे पहले, जिन छात्रों ने अपनी डिग्री या डिप्लोमा पूरा कर लिया था, उन्हें अस्थायी वर्क परमिट मिल जाता था और कुछ समय बाद उन्हें पीआर यानी स्थाई निवास अनुमति मिल जाती थी। लेकिन इस प्रावधान के नियमों को अब कड़ा कर दिया गया है और बहुत सीमित संख्या में ही छात्रों को पीआर मिल पाएगा, बशर्ते उनके पास वह कौशल हों, जिनको लेकर कनाडा को अपने नागरिकों में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा हो।

सुच्चा सिंह गिल

पिछले साल, कनाडा सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए एक शर्त के रूप में, विदेशी छात्रों की गुजारा-खर्च की अग्रिम जमा राशि को दोगुना कर दिया था। पीआर नियमों और वीजा नीति में बदलावों ने भारतीयों सहित बड़ी संख्या में विदेशी छात्रों के लिए अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कनाडा छोड़ने के लिए मजबूर होने का खतरा पैदा कर दिया है।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के छात्रों और श्रमिकों के लिए कनाडा एक पसंदीदा गंतव्य रहा है। साल 2023 में कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या 4.27 लाख थी, जिनमें से 1.47 लाख (41 प्रतिशत) पंजाब से थे। इसके अलावा, बड़ी संख्या में युवा पंजाबियों के पास अस्थायी निवास परमिट हैं जो समाप्त होने के कगार पर हैं। इनमें 1.5 लाख से अधिक पर निर्वासन की तलवार लटक गई है। इनमें कई युवा अपनी समस्याएं उजागर करने को कनाडा भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनकी परेशानियों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा।

हाल के अमेरिकी चुनाव ने डोनाल्ड ट्रम्प को सत्ता में वापस ला दिया है। वे 'अमेरिका फर्स्ट' के लिए प्रतिबद्ध हैं और आव्रजन नीतियों को कड़ा कर सकते हैं। इसी तरह के बदलाव के संकेत अन्य पश्चिमी देशों में भी दिख रहे हैं। जाहिर है, इस सबका प्रवासी भारतीयों और भारत भेजे जाने वाले धन पर गंभीर असर होगा।

कनाडा में भारतीय छात्रों के भविष्य की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है जो स्थायी तौर पर बसने की आकांक्षाओं के साथ वहां गए हैं। अगर बड़ी तादाद में उन्हें पंजाब लौटने के लिए मजबूर किया गया तो यह बड़ी समस्या होगी। पंजाब सरकार को व्यावहारिक समाधान के लिए तत्काल आधार पर इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाने की जरूरत है।

चुनाव आयोग को सजग, सतर्क रहने की जरूरत

चुनाव प्रचार के दौरान भाषाई स्तर, नेताओं की भंगिमा और राजनीतिक जुमलों के प्रयोग ने मतदाताओं में चिन्ता पैदा की है। इसके साथ ही, भारतीय चुनाव आयोग की कथित चुप्पी ने यह धारणा पैदा की है कि या तो आयोग के पास आवश्यक शक्तियां और संसाधन नहीं हैं, या फिर उसकी स्वतंत्रता को गंभीर खतरा है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, और राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति चुनावों का नियंत्रण और निर्देशन सौंपा गया है। आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल को चुनाव आयोग के लिए आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था करने का संवैधानिक उत्तरदायित्व सौंपा गया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य का पूरा चुनावी ढांचा चुनाव आयोग के नियंत्रण में होता है, और अनुच्छेद 329 के तहत चुनावी मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप भी रोक दिया जाता है।

चुनाव आयोग को एक समान अवसर प्रदान करने वाला संवैधानिक निकाय माना गया था, लेकिन भारत में चुनावी प्रक्रिया असमान हो गई है। चुनाव लड़ने की लागत इतनी बढ़ गई है कि अधिकांश लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। कई जगहों पर वोट बिकते हैं, और आर्थिक रूप से सक्षम उम्मीदवार इसका लाभ उठाते हैं। काला धन चुनाव परिणामों को प्रभावित करने लगा है, जबकि चुनाव व्यय सीमा लागू करना आयोग के लिए मुश्किल हो गया है। इस स्थिति में भारतीय लोकतंत्र एक 'सीमित लोकतंत्र' बनकर रह गया है, जिसमें केवल अमीर या मजबूत राजनीतिक समर्थन वाले उम्मीदवार ही चुनाव जीतने में सक्षम हैं, और सामान्य नागरिक का प्रतिनिधि बनने का सपना अधूरा रह जाता है।

चुनाव प्रचार के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग और चुनाव आयोग का सुसंगत दृष्टिकोण का अभाव समाज में शांति और व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भड़काऊ, अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल खुले तौर पर किया जा रहा है, और नेताओं की भंगिमाएं व जुमलेबाजी शालीनता की सभी सीमाएं पार कर रही हैं। वर्ष 2019 में उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को नफरत फैलाने वाले भाषणों के मामले में कार्रवाई नहीं करने पर फटकार लगाई थी, लेकिन आयोग ने असमंजस में यह कहा कि उसके पास इस मामले में कार्रवाई की शक्तियां सीमित हैं, जबकि ऐसा नहीं है।

भारतीय न्याय संहिता 2023 में नफरत फैलाने वाले भाषणों को अपराध घोषित किया गया है, और

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(3ए) इसे 'भ्रष्ट चुनावी आचरण' के रूप में परिभाषित कर प्रतिबंधित करती है। चुनाव की आदर्श आचार संहिता भी ऐसे आचरण को निषिद्ध करती है। चुनाव आयोग का यह तर्क कि उसके पास घृणात्मक भाषणों को रोकने की पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं, सही नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने 1995 में मुम्बई विधानसभा चुनाव के दौरान रमेश यशवन्त प्रभु मामले में घृणात्मक भाषण देने के लिए एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश दिया था। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव आयोग की शक्तियों को मजबूत करने की सिफारिश करने के लिए विधि आयोग को निर्देशित किया है।

चुनाव के दौरान मतदाताओं को मुफ्त उपहार या आर्थिक लाभ देने और झूठे वादे करना रिश्वतखोरी के समान है, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत इसे वर्जित किया गया है। हालांकि, चुनाव आयोग की जड़ता इस मामले में परेशान करने वाली है। वर्ष 2022 में, उच्चतम न्यायालय ने अपने 2013 के फैसले (सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य) पर पुनर्विचार के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया था, यह मामला अभी भी विचाराधीन है। शीर्ष अदालत ने करदाताओं के संगठनों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। सरकारी खजाने से मुफ्त सुविधाएं देना सत्तारूढ़ दल के लिए लाभकारी है, जो अन्य उम्मीदवारों के लिए पक्षपाती स्थिति उत्पन्न करता है।

विपक्षी दलों और उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं द्वारा चुनाव आयोग की निष्पक्षता और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की शुचिता पर उठाए गए सवाल चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। वे एलेन मस्क का हवाला देते हुए कहते हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन मशीनों को हैक किए जाने का जोखिम भले ही छोटा हो, लेकिन फिर भी वह अधिक है। ईवीएम के खिलाफ मुख्य आपत्ति 'ब्लैक बॉक्स सॉफ़्टवेयर' के प्रयोग पर है, क्योंकि यह सॉफ़्टवेयर इतना गुप्त होता है कि लोग और न्यायिक प्रणालियां इसकी अखंडता का मूल्यांकन नहीं कर सकतीं, जिससे संदेह और हेराफेरी के आरोप लगते हैं।

के.पी. सिंह

जर्मन संवैधानिक न्यायालय ने 2009 में ईवीएम के प्रयोग को असंवैधानिक करार दिया था, जबकि भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कई अवसरों पर ईवीएम से जुड़े विवादों का निपटारा किया है, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी (2023) और चंद्रबाबू नायडू (2019) मामलों में। हालांकि, कुछ लोग यह मानते हैं कि ईवीएम की तकनीकी अखंडता का निष्पक्ष और पारदर्शी ऑडिट अभी बाकी है। उनका तर्क है कि एलेन मस्क की टिप्पणी, 'कुछ भी हैक किया जा सकता है', को बिना पर्याप्त परीक्षण के नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी ने 1949 में कहा था कि लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया संदेह और पक्षपात से ऊपर हो, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की वैधता और अस्तित्व इसी पर निर्भर करते हैं।

गायब सराफा व्यापारी मामले में नया मोड़, बंद दुकान से एक महीने बाद मिली चिट्ठी

माही की गूंज, रतलाम।

सराफा व्यापारी के द्वारा सराफा व्यापारियों का करीब तीन करोड़ रुपये का सोना लेकर फरार होने के एक महीने 10 दिन बाद मामले में नया मोड आया है। फरार व्यापारी की पत्नी ने जब दुकान खोली तो उसको वहां से एक लेटर मिला, जिसमें दो लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनसे परेशान होकर व्यापारी फरार हुआ है।लेटर सामने आने के बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।

रतलाम में सराफा के सात व्यापारियों का करीब तीन करोड़ रुपये का सोना लेकर फरार हुए व्यापारी जीवन सोनी का पुलिस एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी पता नहीं लगा पाई है। इधर, जिन व्यापारियों का सोना गया है, उन व्यापारियों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। उसी के तहत मंगलवार को व्यापारियों ने दोपहर 12 बजे तक अपना व्यापार व्यवसाय बंद रख विरोध दर्ज करवाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। फरार व्यापारी जीवन सोनी का पता बताने को लेकर सराफा व्यापारियों ने एक लाख रुपये का नकद इनाम घोषित किया हुआ है, जिसके पोस्टर भी चस्पा किए हुए हैं।

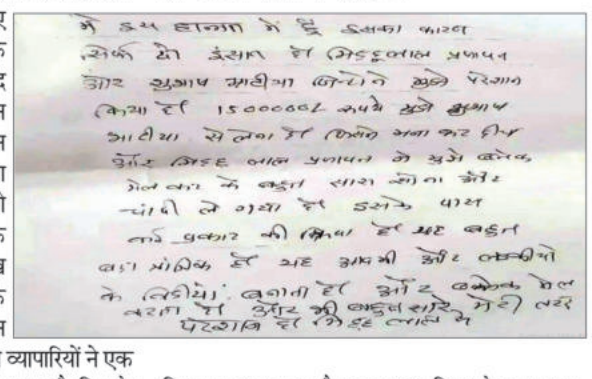

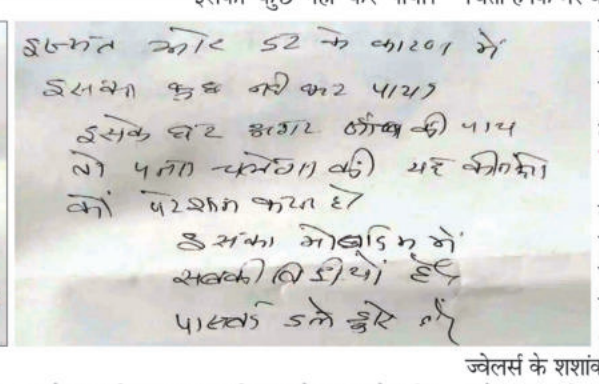

दुकान खोली तो लेटर लगा हाथ, दो लोगों पर आरोप

व्यापारी के गायब होने के बाद एक महीने से अधिक समय से दुकान बंद थी, जिसको लेकर दुकान मालिक ने जब दुकान खाली करने और किराए के लिए परिजनों पर प्रेशर बनाया तो व्यापारी जीवन सोनी की पत्नी भाविका सोनी ने जब पुलिस को सूचना देकर दुकान का ताला खोला तो भाविका को दुकान के अंदर एक लेटर मिला। साथ में दुकान में एक चूहा मार दवा की पुड़िया भी मिली। फरार व्यापारी जीवन सोनी ने लेटर में दो व्यक्तियों द्वारा उन्हें परेशान करने की बात लिखी है। जीवन सोनी ने लेटर में मिट्ठूलाल प्रजापत और सुभाष भाटिया के नाम का उल्लेख किया है। लेटर में लिखा है, इन दोनों ने परेशान कर रखा है।

ये लिखा लेटर में

फरार व्यापारी जीवन सोनी ने लेटर में लिखा कि मैं इस हालात में हूं। इसका कारण सिर्फ दो इंसान हैं। मिट्ठूलाल और सुभाष ने मुझे परेशान किया। 15 लाख रुपये मुझे सुभाष से लेना है, जिसने मना कर दिया। मिट्ठूलाल प्रजापत ने मुझे ब्लैकमेल कर बहुत सारा सोना-चांदी ले गया। उसके पास कई प्रकार की क्रिया है, वह बहुत बड़ा तांत्रिक है। यह आदमी और लड़कियों के वीडियो बनाता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है और भी बहुत सारे मेरी तरह परेशान हैं। मैं इज्जत और डर के कारण मैं इसका कुछ नहीं कर पाया। इसके घर की अगर जांच की जाए तो पता चलेगा कि यह कितनों को परेशान करता है। इसके मोबाइल में सबकी वीडियो है, पासवर्ड डले हुए हैं।

फरार व्यापारी की पत्नी भाविका ने बताया कि मिट्ठूलाल प्रजापत शहर के चांदनी चौक में खिचड़ी, सेंडवीच की दुकान लगाता है। वहीं, सुभाष भाटिया चांदी के घुंघरू का काम करता है। दोनों घर आते जाते थे, लेकिन उनसे कभी बात नहीं हुई। पुलिस अगर इन दोनों से पूछताछ करे तो पता चल सकता है कि मेरे पति के साथ क्या हुआ है।

व्यापारी के परिजनों को आशंका की कहीं जीवन की हत्या तो नहीं हो गई

जीवन सोनी के पिता राधेश्याम सोनी भी बेटे के गायब होने से दुखी हैं। उनका कहना है कि बेटे को गायब हुए एक महीने से अधिक समय हो गया। लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। हमको चिंता हो रही है कि किसी ने मेरे बेटे को मार तो नहीं दिया हमे यह चिंता है कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ होगा। प्रशासन से यहीं मांग है कि लेटर में जिन दो व्यक्तियों के नाम है उनकी जांच की जाए।

ये है मामला

रतलाम के चांदनी चौक के बोहरा बाखल में भाविका ज्वेलर्स के नाम से दुकान संचालित करने वाले व्यापारी जीवन सोनी एक महीने से अधिक समय से फरार है। जीवन सोनी पर आरोप है कि वे सराफा के एपी ज्वेलर्स के शशांक पुरोहित, नक्षत्र ऑर्नामेंट्स के अंशु पामेचा, मारूतिनंदन चांदनी चौक ज्वेलर्स के सुनील पोरवाल, राधे ज्वेलर्स के कान्हा राठौर, केडी ज्वेलर्स के गोविंद अग्रवाल, सौभाग्यमल बसंतीलाल ज्वेलर्स, व्यापारी मयंक पोरवाल का करीब तीन करोड़ रुपये मूल्य का चार किलो सोना लेकर आठ अक्टूबर को फरार हो गए थे। व्यापारियों ने इसकी शिकायत थाने पर भी की है। साथ ही व्यापारियों ने फरार व्यापारी जीवन सोनी का पता बताने वाले को एक लाख रुपये का नकद इनाम देने के पोस्टर भी क्षेत्र में लगाए हैं।

लोकायुक्त पुलिस ने 10 हजार की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया

माही की गूंज, मंदसौर।

उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को मंदसौर जिले में पटवारी को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त पुलिस की 10 सदस्यीय टीम ने फरियादी की शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की।

इसाकपुर तहसील निवासी फरियादी धर्मेंद्र मालवीय ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके पारिवारिक बंटवारे के संबंध में हल्का नंबर 42 के पटवारी जगदीश पाटीदार ने उनसे 25 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। पटवारी ने ये रकम तहसीलदार के नाम पर मांगी थी। लोकायुक्त पुलिस के एसपी अनिल विश्वकर्मा ने फरियादी की शिकायत की जांच की। इसके बाद डीएसपी राजेश पाठक और एएसपी सुनील तालान के नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय टीम का गठन किया।

टीम ने पटवारी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ट्रैप प्लान किया। मंगलवार दोपहर धर्मेंद्र मालवीय पटवारी जगदीश पाटीदार को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपए देने के लिए कोर्ट परिसर स्थित एसबीआई बैंक के बाहर बुलाया। जैसे ही पटवारी ने पैसे लिए किए, लोकायुक्त पुलिस की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से और भी पूछताछ की जा रही है।

डीएपी के स्थान पर एनपीके उर्वरक का उपयोग करने की सलाह दी गई

माही की गूंज, रतलाम।

उप संचालक, कृषि ,जिला रतलाम द्वारा किसानों के हित में सूचना जारी करवाई गई है। जिसमें बताया गया है कि गेहूं फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करने के लिए डीएपी के स्थान पर एनपीके उर्वरक सबसे अच्छा विकल्प है।

बाजार में एनपीके विभिन्न विकल्प 12:32:16, 10:26:26 एवं 16:16:16 के साथ 20:20:00:13 के नाम से उपलब्ध है।किसान , बुआई के समय एनपीके से फसलों में संतुलित मात्रा में पोषक तत्व आधार रूप से पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं । इसके उपयोग से अलग से अन्य उर्वरक की मात्रा देने की आवश्यकता नहीं होती है। संतुलित उर्वरक के उपयोग से उत्पादन लागत में कमी होती है और साथ की उत्पादकता में वृद्धि होती है।

किसान, डीएपी उर्वरक के स्थान पर एनपीके उर्वरक का उपयोग करें, भारत सरकार द्वारा मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहे एवं वातावरण प्रदूषित न हों को ,ध्यान में रखकर नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी की सलाह दी जाती है इसके लिए किसानों को यह भी सलाह है कि गेहूं फसल में दूसरी एवं तीसरी सिंचाई में दानेदार यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया (तरल) का उपयोग करें । इससे कृषि में लागत भी कम होगी और उत्पादन में अपेक्षाकृत वृद्धि होगी।

उप संचालक कृषि श्रीमती नीलम सिंह चौहान द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में यूरिया 8186 मीट्रिक टन, डीएपी 1647 मेट्रिक टन एवं कॉम्प्लेक्स 4202 मेट्रिक टन की उपलब्धता है। अतः किसान संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें।

स्कूल प्रिंसिपल को 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट में फंसाने की कोशिश

भेपाल।

मध्य प्रदेश की राजधानी में साइबर अपराधियों के निशाने पर है। बीते 10 दिनों में यहां डिजिटल अरेस्ट के तीन मामले सामने आए हैं। हाल ही में कोहेफिजा इलाके में रहने वाले एक स्कूल प्रिंसिपल फार्रुख खान ने अपराधियों की चालाकी और दबाव को न केवल समझा बल्कि अपनी सूझबूझ से खुद को ठगी का शिकार होने से बचा लिया।

दरअसल, शनिवार की दोपहर 1:30 बजे फार्रुख के पास एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को डीएचएल कंपनी का प्रतिनिधि बताया और कहा कि बैंकाक भेजा गया उनका पार्सल कस्टम में फंसा है। चौंकाने वाली बात यह थी कि फार्रुख ने कभी कोई पार्सल भेजा ही नहीं था।

डराने-धमकाने की साजिश

साइबर सेल के फर्जी अधिकारी ने फार्रुख को यह कहकर डराने की कोशिश की कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल देश के 8-10 राज्यों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फार्रुख के नाम से खोले गए बैंक खातों में 1.5 मिलियन डॉलर का लेन-देन हो चुका है। आरोपों की पुष्टि के बहाने जालसाजों ने फार्रुख से उनकी बैंक डिटेल्स और अन्य व्यक्तिगत जानकारी मांगी। इसके लिए इसके बाद जालसाजों ने उनका आधार नंबर बताया और दावा किया कि उनके नाम से भेजे गए पार्सल में बाघ की खाल, नाखून, दर्जनों पासपोर्ट और एटीएम कार्ड शामिल हैं। मामला गंभीर बनाने के लिए कॉल एक कथित 'कस्टम अधिकारी' और फिर 'साइबर सेल अधिकारी' से जोड़ दिया गया।

कैसे बचाया खुद को...?

वहीं, इस तनावपूर्ण स्थिति में फार्रुख ने सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने जालसाजों को गलत बैंक डिटेल्स दीं। कुछ समय बाद मौका पाकर बाथरूम जाने का बहाना बनाया और इंटरनेट पर 'डिजिटल अरेस्ट' के बारे में जानकारी जुटाई। समझदारी दिखाते हुए उन्होंने तुरंत इंटरनेट कनेक्शन बंद किया और पुलिस के पास पहुंच गए।

केस दर्ज करने की मांग

फार्रुख की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जब पुलिस ने जालसाजों से संपर्क किया, तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की। असली पुलिस को वीडियो कॉल पर देखकर जालसाज तुरंत कॉल काटकर फरार हो गए। वहीं, सोमवार को फारुख ने अपने साथ हुई ठगी की कोशिश को लेकर क्राइम ब्रांच को आवेदन दिया और केस दर्ज करने की मांग की है।

10 दिनों में डिजिटल अरेस्ट का तीसरा मामला

राजधानी में पिछले 10 दिनों में डिजिटल अरेस्ट का यह तीसरा मामला है। इससे पहले अरेरा कॉलोनी में रहने वाले दुबई के कारोबारी को डिजिटली गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद एक निजी टेलीकॉम कंपनी के इंजीनियर को भी डिजिटली गिरफ्तार कर उसके साथ ठगी करने की कोशिश की गई थी। लेकिन सतर्कता के चलते सभी को ठगी का शिकार होने से बचा लिया गया।

ऋण वसूली में पीछे रहने वाले समिति प्रबंधको के विरूद्ध हो अनुशासनात्मक कार्रवाई- कलेक्टर

माही की गूंज, शाजापुर। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित की आगर मालवा स्थित बैंक शाखाओं एवं समितियों के क्रियाकलापों की समीक्षा कलेक्टर एवं प्रशासक सीसीबी सुश्री ऋजु बाफना ने की। कलेक्टर एवं प्रशासक बाफना ने निर्देश दिये कि ऋण वसूली में सबसे पीछे रहने वाले समिति प्रबंधकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए नोटिस दें तथा नब्बे प्रतिशत से अधिक वसूली करने वाले प्रबंधकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशंसा पत्र दें। इस मौके पर सहायक कलेक्टर शिवम यादव, सीईओ सीसीबी विशेष श्रीवास्तव सहित आगर जिले के समिति प्रबंधकगण उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कहा कि वसूली में रूची नहीं लेने के कारण आगर मालवा जिला पिछड़ रहा है। जिन समिति प्रबंधकों का वसूली प्रतिशत अत्यंत कम है, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर ने वसूली के लिए राजस्व विभाग से मदद प्राप्त करने के निर्देश दिये। साथ ही ग्राम पंचायतों में बकायादारों की सूची चस्पा करने के निर्देश भी दिये। कलेक्टर ने सोयतकलां की तीनों समितियों सहित आगर, बड़ोद, नलखेड़ा, सुसनेर क्षेत्र की समितियों में नब्बे प्रतिशत से अधिक वसूली करने पर प्रबंधकों की प्रशंसा की।

बैठक में कलेक्टर ने सहकारी समितियों की आय बढ़ाने के लिए ऋण वितरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने उर्वरकों का वितरण पीओएस मशीन से ही करने के लिए कहा। साथ ही प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटराईजेशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने 30 नवम्बर तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये।

छापामार कार्रवाई में 71 घरेलू गैस सिलेंडर जप्त

माही की गूंज, मंदसौर।

जिला आपूर्ति विभाग ने सुवासरा क्षेत्र में एक बाड़े पर छापामार कार्रवाई करते हुए 71 घरेलू गैस सिलेंडर और तीन गैस रीफिलिंग मोटर जब्त की है। आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि उक्त सिलेंडर और मोटर वाहनों में गैस भरने के उद्देश्य से अवैध रूप से संग्रहित कर रखे थे। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उपखंड सीतामऊ की सूचना पर पुलिस थाना सुवासरा में आरोपी भागीरथ पिता मोड़ीराम पाटीदार निवासी सुवासरा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि, घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से खाद्य विभाग की टीम द्वारा मंगलवार को मंदसौर के सुवासरा क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप चौराहा के पास भागीरथ पिता मोड़ीराम पाटीदार निवासी सुवासरा के बाड़े पर छापामार कार्रवाई करते हुए 71 नग घरेलू गैस सिलेंडर और तीन गैस रीफिलिंग मोटर जब्त की गई। उक्त सिलेंडर और मोटर वाहनों में गैस भरने के लिए अवैध रूप से जमा कर रखे थे। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सीतामऊ रघुराज सिंह डोडिया द्वारा अपर कलेक्टर जिला मंदसौर के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था।

अपर कलेक्टर द्वारा विचारण उपरांत आरोपी भागीरथ पिता मोड़ीराम पाटीदार निवासी सुवासरा को दोषी पाया गया। अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करते हुए प्रकरण में जब्त 71 नग घरेलू गैस सिलेंडर और तीन गैस रीफिलिंग मोटर को राजसात किया गया। आरोपी भागीरथ पिता मोड़ीराम पाटीदार निवासी सुवासरा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उपखंड सीतामऊ की शिकायत पर पुलिस थाना सुवासरा में आरोपी भागीरथ पिता मोड़ीराम पाटीदार निवासी सुवासरा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के प्रकरण दर्ज किया गया।

दुनिया मे शिव की एकमात्र अष्टमुखी मुर्ति

माही की गूंज, मंदसौर।

शिवना नदी के तट पर भगवान पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। यहां विश्व की एकमात्र शिव की अष्टमुखी मूर्ति है। यह पांचवीं सदी में निर्मित बताई जाती है। संभवतः आक्रांताओं के भय से इसे शिवना नदी में छुपा दिया गया था, जो वर्ष 1940 में बाहर निकाली गई। 1961 में मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी पर मूर्ति को विधिवत वर्तमान मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया गया था। 20 नवंबर को मंदिर का 64वां प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है।

21 साल तक खेत में रही मूर्ति

भगवान शिव की मूर्ति के आठ मुख, जीवन की चार अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। पूर्व का मुख बाल्यावस्था, दक्षिण का किशोरावस्था, पश्चिम का युवावस्था और उत्तर का मुख प्रौढ़ावस्था के रूप में दिखता है। 19 जून 1940 को शिवना नदी से इस अष्टमुखी मूर्ति को निकाला गया था। इसके बाद 21 साल तक भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति नदी के तट पर स्थित पूर्व विधायक बाबू सुदर्शनलाल अग्रवाल के खेत पर रखी रही। मूर्ति का पूरा ध्यान भी उन्होंने ही रखा। मूर्ति के आठों मुखों का नामकरण भगवान शिव के अष्ट तत्व के अनुसार किया गया है। इनमें शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव के रूप में पूजे जा रहे हैं।

सम्राट यशोधर्मन के काल में हुआ था मूर्ति का निर्माण

इतिहासकारों की मानें तो इस मूर्ति का निर्माण विक्रम संवत 575 ई. के आसपास सम्राट यशोधर्मन के काल में हुआ होगा। बाद में मूर्ति भंजकों से बचाने के लिए इसे शिवना नदी में बहा दिया गया होगा। कलाकार ने मूर्ति के ऊपर के चार मुख पूरी तरह बना दिए थे, जबकि नीचे के चार मुख निर्माणाधीन थे। मंदसौर के पशुपतिनाथ की तुलना काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ से की जाती है। मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ की मूर्ति अष्टमुखी है, जबकि नेपाल स्थित पशुपतिनाथ चारमुखी हैं।

एक क्विंटल है कलश का वजन

27 नवंबर 1961 को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी पर स्वामी प्रत्यक्षानंद महाराज के करकमलों से अष्टमुखी मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई थी। मप्र के योजना तथा सूचना उपमंत्री सीताराम जाजू भी उपस्थित रहे। 26 जनवरी 1968 को मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलशारोहण हुआ था। इस समय विजयाराजे सिंधिया भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज, स्वामी प्रत्यक्षानंदमहाराज का सान्निध्य मिला था। कलश के गोलम्बोर पर श्री पशुपतिनाथ के चार मुख तथा कमल अंकित हैं। कमल पर कलश स्थित है। कलश का वजन एक क्विंटल है। इस पर 51 तोला सोना चढ़ा हुआ है। त्रिशूल पर 10 तोला सोना मंडित किया हुआ है। 1963 से नगर पालिका ने श्री पशुपतिनाथ मेला मेला प्रारंभ किया।

51 हजार लड्डुओं का महाभोग लगेगा

श्री पशुपतिनाथ मंदिर पुजारी परिवार द्वारा 20 नवंबर को 64वां प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। सुबह 7.30 बजे से 51 पंडितों द्वारा महारुद्र अभिषेक किया। इसके बाद मूर्ति एवं गर्भगृह का विशेष फूलों से नयनाभिराम श्रृंगार किया। श्रद्धालुओं को चारों द्वार से भगवान के विभिन्न रूपों में दर्शन हुए। 51 हजार लड्डुओं का भोग लगाया। शाम 6.15 बजे महाआरती हुई। महाआरती में विशेष कलाकारों द्वारा बैंड तथा नासिक व अहमदाबाद के ढोल की प्रस्तुति दी गई।

भाजपा नेता की सगाई में बवाल...

बालाघाट।

मध्यप्रदेश के बालाघाट में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सोहागपुरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। महिला थाना पुलिस ने भूपेन्द्र पर शादी का झांसा देकर पीड़िता का शारीरिक शोषण करने, धमकाने और जातिगत रूप से अपमानित किए जाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस इस मामले में पड़ताल के बाद ही कार्यवाही के मूड में दिखाई दे रही है।

मामला 2008 से 2024 के बीच का है। पीड़िता शासकीय सेवा में कार्यरत एक माध्यमिक टीचर है। वहीं जानकारी अनुसार वर्तमान में जिस युवती से भूपेन्द्र की सगाई की तस्वीरें सामने आई है, वह भी एक जिम्मेदार पद पर है।

चार सालों तक किया था मुझे प्रपोज

पुलिस को की गई शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि, 'साल 2008 में एक निजी बीएड कॉलेज में भूपेन्द्र सोहागपुरे मेरे साथ पढ़ता था। तीन साल तक वह लगातार मुझसे अपने प्यार का इजहार करता रहा और बात करने के लिए दबाव बनाया लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर 17 दिसंबर 2012 को मैंने उसका प्रजोपल एक्सपेप्ट किया था। तब उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था।

शादी का झांसा देकर बनाए संबंध

पीड़िता ने आगे बताया कि, 'मैं 2013 से 2020 के तक सिंगरौली जिले में माध्यमिक टीचर के रूप में पदस्थ रही। जब छुट्टियों में घर पहुंची तो उसने अपने दोस्त भुवनेश्वर रजक के किराए के कमरे में शादी की बात कहकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। वह बार-बार ये करता रहा और शादी की बात को टालता रहा। अगस्त 2020 में बालाघाट के लामता में मेरा ट्रांसफर होने के बाद वह मेरे किराए के कमरे में आकर भी मुझसे शारीरिक संबंध बनाता रहा। फिर, भूपेन्द्र के किसी से अफेयर होने की जानकारी के बाद मैंने उससे सवाल किया तो उसने उसे अपनी रिश्तेदार बता दिया। इसी को लेकर भूपेन्द्र ने मुझे जातिगत रूप से अपमानित किया और खुद को भाजयुमो जिलाध्यक्ष बताते हुए मुझसे शादी करने से बदनामी की बात कही।'

दी जान से मारने की धमकी

पीड़िता ने आगे कहा कि, 20 अप्रैल 2022 को भी रात में भूपेन्द्र ने हमारे अफेयर को लेकर किसी से बात करने पर अध्यक्ष के पद का खतरा होने और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद फिर से चर्चा हुई तो उसने कहा कि मैं अपने घरवालों को मना लूं। घरवालों के मानने के बाद 4 फरवरी 2024 को भूपेन्द्र ने मेरे घर में आकर शादी की बात तो नहीं की बल्कि मुझ पर लांछन लगाकर शादी करने से मना कर दिया। इतने के बाद भी मुझे विश्वास था कि भूपेन्द्र मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन गत 16 नवम्बर को पता चला कि भूपेन्द्र की शादी होने वाली है। जब मैं वहां पहुंची तो देखा शादी का ही कुछ फंक्शन चल रहा था। मैंने डायल 100 कर पुलिस को बुलाया। पुलिसकर्मियों ने मुझे थाना जाकर रिपोर्ट करने की बात कही।

सगाई में बवाल के बाद टाली गई शादी

पुलिस के अनुसार इसके बाद महिला ने 17 नवबर को बीजेपी नेता की सगाई के आयोजन में पहुंच कर हंगामा भी किया। 17 नवम्बर की रात ही महिला की शिकायत पर बीजेपी नेता पर मामला कायम होने के बाद 18 नवंबर को होने जा रही शादी टाल दी गई।

पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना प्रभारी सोनाली ढोक ने बताया कि, भूपेन्द्र सोहागपुरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है और पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। माननीय न्यायालय में पीड़िता के बयान के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

फिलहाल भाजयुमो अध्यक्ष भूपेन्द्र सोहागपुरे से इस मामले में पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उनका नंबर स्वीच ऑफ मिला। वहीं भाजपा अध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने कहा कि कार्यालय में इसको लेकर चर्चा की जाएगी। जिससे संगठनात्मक तौर से भूपेन्द्र का भाजयुमो में पद खतरे में लग रहा है।

छात्राओं की शिकायत, अधीक्षिका हटाई गई

माही की गूंज, बड़वानी।

बड़वानी के कारंजा चौराहे पर स्थित शासकीय जनजातीय कन्या महाविद्यालय छात्रावास की छात्राओं की शिकायत पर बुधवार को जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त शक्ति सिंह चौहान ने हॉस्टल की अधीक्षिका चुन्नी सोलंकी को हटा दिया। उनकी जगह आशा परिहार को प्रभार सौंपा गया है।

सोमवार को छात्राएं एनएसयूआई के नेतृत्व में अपनी शिकायत लेकर जनजातीय कार्य विभाग के कार्यालय गई थीं, जहां सहायक आयुक्त ने मामले की जांच के लिए दो दिन का समय मांगा था। बुधवार को छात्राओं और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने फिर से कार्यालय का रुख किया, और सहायक आयुक्त ने उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए अधीक्षिका को हटा दिया।

ज्ञापन में छात्राओं ने अधीक्षिका के खराब व्यवहार और अन्य समस्याओं को उठाया था। उनका कहना था कि अधीक्षिका उन्हें छात्रावास से निकालने की धमकी देती हैं और पंखे व लाइट सुधारने के लिए कहती हैं कि खर्च खुद करें। छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल में खेल सामग्री भी उपलब्ध नहीं कराई जाती, और 100 छात्राओं के लिए केवल एक ही बाथरूम चालू है। इसके अलावा, छात्राओं ने समय पर स्कॉलरशिप न मिलने और प्रसाधन सामग्री के पैसे न मिलने की भी शिकायत की थी। एनएसयूआई के कार्यकर्ता सागर मोरे, आकाश सेमले, आकाश चौधरी, संजना चौहान, निकिता आदि छात्राएं ज्ञापन सौंपने के समय मौजूद थीं। सहायक आयुक्त ने छात्राओं को जांच दल भेजने का आश्वासन भी दिया।

डायरेक्ट एजेंट चयन 29 नवंबर को

माही की गूंज, बड़वानी। डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा के प्रचार-प्रसार के लिए खरगोन एवं बड़वानी जिले से डायरेक्ट एजेंट चयन किया जाएगा। इसके लिए साक्षात्कार का आयोजन डाक विभाग के संभागीय कार्यालय खंडवा द्वारा किया जा रहा है। डायरेक्ट एजेंट चयन के लिए इच्छुक उम्मीदवार 29 नवंबर को प्रातः 11 बजे प्रधान डाकघर, खरगोन पोस्ट ऑफिस चौराहा, खरगोन में आयोजित साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा किसी राज्य या केंद्रीय बोर्ड से पास की हो।चयनित एजेंट को किए गए डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा के व्यवसाय पर प्रोत्साहन राशि (इंसेटिव) प्रदान की जाएगी। हालांकि, उन्हें अतिरिक्त वेतन या भत्ता नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने बायोडाटा और शैक्षणिक प्रमाणपत्र के साथ साक्षात्कार में शामिल होना होगा।

जनजातीय गौरव पखवाड़ा, नृत्य स्पर्धा संपन्न

माही की गूंज, बड़वानी।

पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी में प्राचार्य संगीता शेल्के के मार्गदर्शन में बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर से जनजातीय गौरव पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पखवाड़ा का समापन 26 नवंबर को होगा।

कार्यक्रम और मीडिया प्रभारी कुंदन राठौर ने बताया कि पखवाड़ा का शुभारंभ बिरसा मुंडा के वीरतापूर्ण जीवन पर आधारित ऑनलाइन क्विज से किया गया। कक्षा 9वीं की छात्रा प्रज्ञा ने बिरसा मुंडा के योगदान को रेखांकित किया। शिक्षक विप्लव शर्मा और काव्या चौधरी के सहयोग से प्रार्थना सभा में बड़वानी जिले की जनजातीय विरासत, क्रांतिकारी नायक टंट्या भील और भीमा नायक सहित जनजातीय पर्व एवं संस्कृति पर आधारित गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। कक्षा 8वीं की छात्राओं ने मनोहारी आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किया, प्राथमिक विभाग के बच्चों ने जनजातीय लोक गायन किया, और माध्यमिक विभाग के विद्यार्थियों ने जनजातीय जीवन पर कैनवास पर चित्र बनाए। आगामी कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रसार भारती द्वारा बिरसा मुंडा के जीवन पर निर्मित डाक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी और जनजातीय लोक कलाओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

कार्यक्रम के तहत आज अंतर-सदन जनजातीय नृत्य स्पर्धा संपन्न हुई। इसमें शिवाजी, टैगोर, अशोक और रमन सदन की टीमों ने उत्कृष्ट नृत्य प्रस्तुतियाँ दीं। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित फिल्म का आनंद भी लिया।

बैंक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

माही की गूंज, खरगोन। बैंक ऑफ इंडिया आरसेटी खरगोन में 06 दिवसीय बैंक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 नवंबर को संपन्न हुआ। संस्था निदेशक नरेश कुमार सेंन्द्रे ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मिशन ÷वन जीपी वन बीसी÷ के अंतर्गत चलाया गया। इसमें कुल 19 महिला प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को बीमा, बचत, निवेश, विभिन्न ऋण योजनाओं, एफडी, आरडी और बैंक के कामकाज से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। एसआरएलएत के किरण कठाने ने बताया कि ये महिलाएं प्रशिक्षण के उपरांत अपने-अपने क्षेत्रों में आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंक मित्र और बैंक सखी का कार्य शुरू करेंगी। इस दौरान संकाय सदस्य रमेश वास्केल, गणेश राठौड़ और कार्यालय सहायक राजकुमार काण्डे आदि उपस्थित थे।

नशा मुक्ति की शपथ दिलाई

माही की गूंज, खरगोन। भीकनगांव विकासखंड के ग्राम कोदला जागीर में आदर्श ग्राम अंतर्गत नशा मुक्त ग्राम बनाने के उद्देश्य से एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन जिला समन्वयक विजय शर्मा और ब्लॉक समन्वयक कालू सिंह मंडलोई के मार्गदर्शन में किया गया। बैठक में नवांकुर संस्था कोदला जागीर सेक्टर क्रमांक 4, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति, परामर्शदाता, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र-छात्राएं और ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान सभी ग्रामीणों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में नवांकुर संस्था की अध्यक्ष सुनीता चौहान, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति अध्यक्ष अर्पित जायसवाल, भागीरथ मुजाल्दे और मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम कार्यशाला सम्पन्न

माही की गूंज, खण्डवा।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत बुधवार को शासकीय उद्यान रोपणी, बोरगांव खुर्द, विकासखंड खंडवा में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 35 उद्यमियों और कृषकों ने भाग लिया।

कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत बोरगांव खुर्द की महिला सरपंच नन्नी बाई पाण्डे उपस्थित थीं। उपसंचालक उद्यान अजय चौहान ने बताया कि कार्यशाला में बैंक ऑफ इंडिया के लीड बैंक मैनेजर संजय करोड़ी और चीफ मैनेजर डेविड डोंगरे ने मार्केटिंग स्किल और बैंक लोन स्वीकृति की प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आवेदन के दो दिनों के भीतर हार्ड कॉपी बैंक में प्रस्तुत करनी होगी, जिससे सिविल चेक की प्रक्रिया तत्काल पूरी की जा सके।

कृषि विज्ञान केंद्र की डॉ. रशमी शुक्ला ने प्याज़ पाउडर और पेस्ट बनाने की विधि साझा की, जिससे उद्यमी अच्छे मूल्य पर बेचकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा, मशरूम, बेकरी उत्पाद, मल्टीग्रेन आटे के बिस्किट, टमाटर, मिर्च की प्रोसेसिंग और सोयाबीन से सोया पनीर और सोया दूध बनाने की विधि पर भी चर्चा की गई।

जिला रिसोर्स पर्सन सिद्धार्थ राठोर ने पीएमएफएमई योजना के तहत आवश्यक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, कोटेशन और मशीनों की जानकारी दी।

औद्योगिक क्षेत्र से श्रमिकों का कृषि की ओर बढ़ता रूझान

शहरों में जाकर काम करने वाले भारत के लोग बड़ी संख्या में अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। ग्रामीण अंचलों के श्रमिकों को 'कम मुनाफादायक' कृषि से शहरी केंद्रों में बेहतर रोज़गार के अवसरों की तलाश में धकेलने वाली नीति-समर्थित चाल पिछले पांच सालों में उलट गई लगती है। रिवर्स माइग्रेशन (गांवों की और वापसी) में तेज़ी का संकेत सबसे पहले कोविड-19 महामारी के दौरान मिला, जब लाखों शहरी ग़रीबों ने लंबी दूरी तय की, ज़्यादातर पैदल -जिसे विभाजन के दिनों के बाद लोगों के सबसे बड़े आवागमन के रूप में देखा गया। इस अभूतपूर्व अंतर-राज्यीय या फिर राज्य के भीतर ही हुए स्थानांतरण को पहले अस्थायी माना गया था, लेकिन इस उम्मीद को धता बताते हुए कि महामारी खत्म होने के बाद कार्यबल शहरों में वापस लौट आएगा, अधिकांश प्रवासियों ने अपने मूल स्थान पर ही रहना चुना।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और नई दिल्ली स्थित मानव विकास संस्थान ने एक रिपोर्ट में पहली बार कृषि संबंधी रोज़गार में लगे लोगों की संख्या में वृद्धि पर मुहर लगाई है। आम धारणा के विपरीत, अनुमान है कि 2020 और 2022 के बीच ग्रामीण कार्यबल में 5.6 करोड़ श्रमिक जुड़े। इससे पता चलता है कि बेरोजगारी के साथ विकास के आलम में, शहरों में उपलब्ध रोजगार अवसर प्रवासियों के लिए अब आकर्षक नहीं रहे। चाहे यह मेन्युफेक्चरिंग क्षेत्र में बनी मंदी की वजह से हो या निर्माण क्षेत्र की नौकरियों में गिरावट की वजह से, प्रवासियों ने गांव वापसी करना बेहतर समझा।

अलबत्ता, इसके बाद सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023-24 ने आर्थिक डिजाइन के अनुसार जनसंख्या परिवर्तन में उलटफेर दिखाया - जो कृषि कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा खेती से दूर चले जाने को लेकर था। रोचक है कि 2004-05 और 2018-19 के 13 साल में 6.6 करोड़ कृषि कार्यबल ने शहरों में छोटे-मोटे रोजगार की तलाश में पलायन किया था लेकिन जेएनयू के अर्थशास्त्री हिमांशु के मुताबिक, अगले पांच सालों (2018-19 से 2023-24) के बीच 6.8 करोड़ लोगों की गांव वापसी हुई। ऐसा नहीं है कि कृषि अचानक से लाभदायक हो गई,लेकिन जिस प्रकार रिवर्स माइग्रेशन की दर ने आर्थिक नीति के आधार पर संरचनात्मक परिवर्तन करवाने के अपेक्षित फायदों को उलट दिया है, उसने दिखा दिया है कि लोगों को खेती छुड़वाने वाली रणनीति व्यवहार्य नहीं थी।

पीएलएफएस सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रामीण कार्यबल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 2018-19 में 42.5 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 46.1 प्रतिशत हुआ है, जोकि खेती में फिर से जुड़ा कुल आंकड़ा है- और इसमें युवाओं की बड़ी संख्या है दूइससे जो संदेश मिलता है उसे अब और अधिक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जबकि लोकप्रिय आर्थिक सोच एक दोषपूर्ण प्रारूप पर आधारित है, जिसने लोगों को इस क्षेत्र से बाहर करने की चाह से सालों तक कृषि को जानबूझकर घाटे का व्यवसाय बनाए रखा ताकि मजबूर होकर शहरों की और पलायन हो। दिल्ली की सीमाओं पर साल भर चले आंदोलन के बाद कृषकों के प्रदर्शनों में बड़ी संख्या, उचित आय से महरूम रखने के विरुद्ध उनका रोष दर्शाती है।

यह साल 1996 था जब विश्व बैंक ने चाहा था कि भारत के 40 करोड़ लोगों को कृषि क्षेत्र से

बाहर निकाला जाना चाहिए - जोकि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त आबादी के दोगुने के बराबर है - ताकि उन्हें शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़े और वहां श्रमबल उपलब्ध हो। जबकि पलायन में सहायक बनने वाली स्थितियां बनाने के बजाय खेती को व्यवहार्य उद्यम बनाकर कृषि के पुनर्निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए था। यही महात्मा गांधी चाहते थे, और जिस दर से प्रवासी वापस लौटे हैं, उससे पता चलता है कि वे कितने सही थे। इसलिए, अब समय है कि विश्व बैंक की उक्त नीति को खारिज कर कृषि को पुनर्जीवित करने और खेती को एक टिकाऊ, व्यवहार्य और लाभकारी उद्यम बनाने पर फोकस किया जाए।

अगर आप अभी भी आश्वस्त नहीं हैं, तो हाल ही में जारी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट देखें। इसके अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में कृषि में लगी आबादी का हिस्सा काफी बढ़ गया है। साल 2016-17 में 48 प्रतिशत से 2023-24 में 57 फीसदी के उच्च स्तर तक, कृषि परिवारों की संख्या में भारी उछाल स्पष्ट रूप से मूल निवास पर वापसी की ओर इशारा करता है। पंजाब को छोड़कर, जहां कृषि में लगे परिवारों की हिस्सेदारी 2016-17 में 42 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 36 प्रतिशत रह गयी, हिमाचल में 70 से 63 प्रतिशत व गुजरात और कर्नाटक में थोड़ी-बहुत वृद्धि है। कुल मिलाकर,कई राज्यों में कृषि में लगे परिवारों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। गोवा में कृषि परिवारों की संख्या 3 फीसदी से बढ़कर 18 प्रतिशत, हरियाणा में 34 से 58 प्रतिशत, उत्तराखंड में 41 से 57 प्रतिशत और तमिलनाडु में 13 से 57 प्रतिशत हो गई है। अधिकांश अन्य राज्य भी कृषि की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाते हैं।

कारण जो भी हों, आईएलओ, पीएलएफएस और नाबार्ड के ये तीन सर्वेक्षण और अध्ययन रोजगार और आजीविका चुनौतियों का सामना करने में कृषि का महत्व दिखाते हैं, घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इस क्षेत्र की क्षमता को न भूलें। जबकि मुख्यधारा की आर्थिक सोच रिवर्स माइग्रेशन की उस दर से निराश है जिसने कृषि क्षेत्र में लगे लोगों की संख्या कम करने के सभी पिछले पैंतरों को उलट दिया, मुख्यधारा के अर्थशास्त्री और आर्थिक लेखक कृषि रोजगार में वृद्धि को 'चिंताजनक' और 'चिंता का विषय' के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत में देखा जा रहा विपरीत पलायन का यह नमूना निम्न मध्यम आय वर्ग के लिए अनूठा है, लेकिन यह कृषि के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक नीतियों को पुनर्जीवित करने की बढ़ती आवश्यकता का संकेत है।

बदलती जमीनी हकीकत को स्वीकार करने का समय आ गया है। कृषि पर निर्भरता अपने आप ही व्यवहार्य रास्ते बना लेगी, बशर्ते सरकार पर्याप्त संसाधन लगाने को तैयार हो। सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अर्थशास्त्रियों को कृषि के लिए बजटीय परिव्यय में किसी भी प्रस्तावित वृद्धि को राजकोषीय घाटे में वृद्धि के रूप में देखना बंद कर देना चाहिए। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओएलसीडी) के अनुसार, 54 प्रमुख कृषि अर्थव्यवस्थाओं में से भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जहां किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई बजटीय प्रावधानों के जरिये नहीं की जाती। जैसा कि यह लेखक अक्सर कहता आया है, किसान लगभग 25 वर्षों से साल-दर-साल 'घाटे की फसल' काट रहे हैं। किसानों को 'भगवान भरोसे' छोड़ने वाला यह दोषपूर्ण आर्थिक डिजाइन समाप्त होना चाहिए। रिवर्स माइग्रेशन को शुभ समाचार के रूप में देखा जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि संसाधनों को वहां लगाया जाए, जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आखिरकार इसी से बनेगा: सबका साथ, सबका विकास।

देविंदर शर्मा

कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व महाअभियान के कार्यों का किया निरीक्षण

माही की गूंज, उज्जैन।

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश के साथ-साथ उज्जैन जिले में भी राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत जिले की ग्राम पंचायतों में राजस्व महाअभियान में नक्शों का बटांकन, नामांतरण, फार्मर रजिस्ट्री, आयुष्मान कार्ड की पात्रता रखने वाले 70 प्लस व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर किया जा रहा है।

कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बुधवार को उन्हेल तहसील के ग्राम रूपाखेड़ी एवं पाँसलोद पहुंचकर निरीक्षण कर पटवारी, पंचायत सचिव आदि से शिविर में राजस्व महाअभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पटवारियों से फार्मर रजिस्ट्री, नामांतरण, बंटवारा तथा 70 प्लस के आयुष्मान कार्ड बनाने की जानकारी प्राप्त कर संबंधितों को निर्देश दिए कि समय सीमा में कार्य पूर्ण करें। पात्रता अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाए जाए।

कलेक्टर ने टेक्नीकल प्रॉब्लम का निराकरण कर संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। पटवारी ने जानकारी दी कि ग्राम पंचायत में 37 में से 13 व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं। ग्राम रूपाखेड़ी में उपस्थित ग्रामीणों की समस्याओं का भी निराकरण किया। नर्मदा क्षिप्रा पाईपलाइन की समस्या पर एसडीएम नागदा ब्रजेश सक्सेना को निर्देश दिए कि बालोदाफंटा के समीप मावे की फैक्ट्री की दिवार को हटाकर पाईपलाइन डलवाने की कार्यवाही की जाए।

कलेक्टर ने ग्राम रूपाखेड़ी के बाद ग्राम पाँसलोद में शिविर में किए जा रहे कार्य का निरीक्षण कर राजस्व महाअभियान के तहत जानकारी प्राप्त की। जिन व्यक्तियों के आधार से मोबाईल नंबर लिंक नहीं हुए हैं उन्हें शीघ्रता से लिंक कराए जाएं। राजस्व महाअभियान के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों और आयुष्मान कार्ड बनाने की कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण की जाए। जिन किसानों के कृषि भूमि के खसरे आधार से लिंक नहीं हुए है उन्हें भी समय सीमा में पूरा किया जाए। कलेक्टर ने उपस्थित ग्रामीणों से राशन आदि के मिलने की जानकारी प्राप्त की। इसी तरह उन्होंने सोयाबीन फसल की भी जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर को अवगत कराया कि ग्राम पंचायत पाँसलोद में 31 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बना दिए गए हैं। 29 पूर्व में आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं शेष 35 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाना शेष है जिनकी बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में संभाग के सभी जिलों की समीक्षा बैठक हुई आयोजित

माही की गूंज, अलीराजपुर।

संभाग आयुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में संभाग के सभी जिलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर, जिला पंचायत सीईओ प्रखर सिंह वर्चुअली जुड़े। बैठक में संभागुक्त सिंह ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि समस्त 18 विभाग अपने अपने विभाग की मांग अनुसार योजना बनाकर भेजे। इसमें मुख्य रूप से आधार अपडेशन, आयुष्मान कार्ड निर्माण, पोषण वाटिका निर्माण, हॉस्टल एवं विद्यालय बिल्डिंग निर्माण, सिकल सेल एनीमिया उपचार केंद्र, होम स्टे निर्माण, जाति प्रमाण पत्र निर्माण के कार्य प्राथमिकता से किए जाने है। जिनकी कार्य योजना के संबंध में कलेक्टर डॉ बेडेकर ने बताया कि पोषण वाटिका, मोबाइल क्लीनिक आदि के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित कर दिए गए है।

इसके साथ ही सिंह ने सीएम हेल्पलाइन एवं समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की। कलेक्टर डॉ बेडेकर ने जिले की स्थिति के विषय में अवगत कराया।राजस्व महाअभियान 3.0 की प्रगति की समीक्षा के दौरान श्री सिंह ने कार्य के प्रगति के निर्देश दिए।

साथ ही संभाग आयुक्त सिंह ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने एवं नल जल योजना के कार्यों पर विशेष बल देते हुए, शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए।इस दौरान सभी जिला कलेक्टर एवं अलीराजपुर एन आई सी कक्ष में अनुविभगीय अधिकारी अर्थ जैन, संयुक्त कलेक्टर वीरेंद्र सिंह बघेल, सुश्री प्रियांशी भंवर, अनुविभागीय अधिकारी तपिश पांडे, एस आर यादव डिप्टी कलेक्टर जीपी अग्रवाल, सुश्री निधि मिश्रा समेत संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।कलेक्टर डॉ बेडेकर ने स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए।

अमानुल्ला पठान विधायक प्रतिनिधि नियुक्त

माही की गूंज, आम्बुआ।

विधानसभा क्षेत्र जोबट की विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करते हुए जनपद पंचायत आलीराजपुर के लिए आम्बुआ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमानुल्ला पठान को जनपद पंचायत आलीराजपुर के लिए विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओमप्रकाश राठौर, पूर्व अध्यक्ष महेश पटेल, राजेन्द्र सिंह राठौर, मुस्तफा भाई बोहरा सरपंच रमेश रावत, उप सरपंच थानसिंह भयडिया, गोपाल चौहान,हुसेनी भाई, शाहिद कुरेशी रमेश बघेल भीम सिंह बघेल कमलसिंह कनेश, अमरसिंह डुडवे, नारायण सिंह चौहान,राजू पटेल, मुफजल बोहरा, चांद मोहम्मद मकरानी, बबलू डाबर, सिराज खान, तथा क्षेत्रीय पार्टी कार्यकर्ताओं ने अमानुल्ला पठान को बधाई देते हुए क्षेत्रीय विधायक का आभार व्यक्त किया है।

नाबालिग लड़की होने के कारण महिला बाल विकास विभाग ने लौटाई बारात

माही की गूंज, उज्जैन/नागदा।

नृसिंहघाट के पास स्थित रघुकुल गार्डन में मंगलवार रात विवाह-समारोह चल रहा था। दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर बैठे थे और बाराती डीजे की धुन पर नाच रहे थे। परिवार और रिश्तेदार भोजन कर रहे थे। तभी किसी ने महाकाल थाना पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस अपने साथ महिला एवं बाल विकास की टीम के साथ पहुंची। दूल्हा-दुल्हन के परिजनों को समझाइश दी और शादी रुकवा दी।

महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी साबिर एहमद सिद्दीकी ने बताया कि मंगलवार रात महाकाल थाने से सूचना मिली थी कि रघुकुल गार्डन में शादी समारोह चल रहा है। दुल्हन नाबालिग है। परिजनों द्वारा बाल विवाह कराया जा रहा है।

सूचना मिलने पर विभाग की टीम को महाकाल थाना पुलिस के साथ रघुकुल गार्डन रवाना किया। टीम में शामिल संतोष पंवार ने बताया कि स्टेज पर बैठे दूल्हा-दुल्हन के परिजनों से उम्र संबंधी दस्तावेज मांगे। इस पर दुल्हन के माता पिता इस बात से सहमत हो गए कि बेटी की उम्र 18 वर्ष होने में 3-4 माह काम हैं। उन्हें बाल विवाह नहीं करने की समझाइश दी गई। लडक़ी पक्ष जयसिंहपुरा का रहने वाला था। बारात नागदा से आई थी। बारात में शामिल लोग बैंड बाजों के साथ नाचते गाते गार्डन तक पहुंचे थे। वरमाला कार्यक्रम के बाद दूल्हा-दुल्हन को स्टेज पर बैठाया गया था। यहां भी डीजे साउंड पर डांस चल रहा था। दूसरी तरफ लोग भोजन कर रहे थे। जब पुलिस और महिला बाल विकास विभाग की टीम गार्डन पहुंची तो कुछ लोगों ने शादी रोकने से इंकार किया, हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद वे लोग मान गए। रिसेप्शन के बाद दूल्हा बारात के साथ लौट गया।

सिद्दीकी ने बताया कि गार्डन में शादी की प्रोसेस चल रही थी। दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर बैठे थे। इसके बाद रात में फेरे होने वाले थे। यदि फेरे हो जाते तो बाल विवाह का केस थाने में दर्ज कराना पड़ता। दोनों पक्षों को समझाइश दी तो वे मान गए और शादी कार्यक्रम रद्द कर दिया।

डीपीएमयू की बैठक आयोजित एवं डीपीसी ने किया विद्यालय का भ्रमण

माही की गूंज, अलीराजपुर।

संयुक्त कलेक्टर एवं डीपीसी वीरेंद्र सिंह बघेल की अध्यक्षता में डीपी एम यू की बैठक कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक के दौरान सहायक परियोजना समन्वयक (समस्त) , निपुण प्रोफेशनल पल्लवी जैन और जिले के समस्त बीआरसीसी, हॉस्टल वार्डन उपस्थित रहे। इस बैठक में उन्होंने सभी बीआरसी, प्राचार्यों को निर्देशित किया कि हर सप्ताह हॉस्टल का निरीक्षण किया जाए एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। साथ ही उन्होंने समग्र आईडी अपडेशन का कार्य भी जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के 1500 बच्चों के समग्र अपडेट नहीं हुए है, इस कार्य को जल्द से जल्द करे।डीपीसी श्री बघेल ने आज विद्यालय भ्रमण के दौरान विद्यालय के बच्चों से बातचीत की एवं नेशनल अचीवमेंट सर्वे द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण की तैयारियों का जायजा भी लिया।

71 वॉ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का आयोजन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बखतगढ़ में 71 वीं अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के 6 वे दिन आयोजन जिला सहकारी संघ झाबुआ एवं बी पैक्स बखतगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में समिति प्रांगण में किया गया। आयोजन में प्रभारी उपायुक्त सहकारिता जी.एल. सोलंकी द्वारा महिलाओं, युवाओं एवं कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सहकारिता द्वारा किए जा रहे कार्यों कि चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सहकारिता द्वारा महिला की 13 समितियों का गठन किया गया केन्द्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही सहकारिता से समृद्धि योजना अंतर्गत संचालित 54 पहलुओं के तहत जिले में की जा रही 18 योजनाओं की जानकारी मदवार महिलाओं युवाओं तथा समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सहकारिता के माध्यम से नवीन सहकारी समितियों के गठन पुनर्गठन व डेयरी, मत्स्य पंजीयन के लिए जन समुदाय से आवाहन किया गया तथा इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे 0 प्रतिशत के.सी.सी. ऋण के बारे में बताया गया। कार्यक्रम को जनप्रतिनिधि नरिंग मौर्य ने पशुपालन डेयरी के महत्व पर प्रकाश डाला एवं विशेष अतिथि विक्रम सिंह भयडिया जनपद उपाध्यक्ष सोडवा ने महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही लाडली बहना योजना एवं कमजोर वर्ग के लिए किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी दी एवं संस्था प्रशासक श्रीमती नेहा रायकवार राठौर द्वारा 0 प्रतिशत ब्याज पर के.सी.सी. ऋण योजना के बारे मे कहा। कार्यक्रम में प्रधान मंत्री फसल बीमा के लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला संघ के प्रबंधक दुर्गेश पालीवाल द्वारा किया गया एवं इस अवसर पर समिति प्रबंधक, पर्यवेक्षक, सहित अन?य कर्मचारी उपस्थित थे। प्रभारी उपायुक्त सहकारिता जी.एल. सोलंकी द्वारा उक्त जानकारी दी गई।

अतिवृष्टि के कारण असिंचित भूमि में खड़ी कपास की उपज प्रभावित

माही की गूंज, आम्बुआ।

क्षेत्र में कृषक विगत कुछ वर्षों से उड़द के स्थान पर अन्य फसलें लेने लगे हैं उन्हीं में एक आर्थिक फसल कपास भी है। इस वर्ष असिंचित भूमि पर बोई गई यह फसल अतिवृष्टि के कारण इतनी अधिक खराब हो गई है कि कृषकों का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है।

अलीराजपुर जिला जोकि कृषि के क्षेत्र में मानसून पर रहता है यदि मानसून क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से रहा तो उपज अच्छी हो जाती है, और यदि मौसम ने करवट बदली तथा कम वर्षा हुई तो हालत खस्ता और यदि अधिक बारिश हो गई तो भी बर्बादी तय मानी जा सकती है। इस वर्ष मानसून विलंब से आया कृषकों ने जैसे तैसे करके खेतों में बीज बो दिए। बारिश की अनियमितता के बीच फसलें कुछ ठीक स्थित में पहुंची कृषक खुश दिखाई दिए। अच्छी उपज की उम्मीद लगाए बैठे थे कि विदा होते मानसून ने पुनः वापसी की और इतनी अधिक बारिश हुई कि खेतों में खड़ी फसलें सड़ने लगी और कृषकों की बर्बादी की कहानी लिख दी गई। क्षेत्र में किसानों ने अपनी परंपरागत फसल उड़द जो कि क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक फसल है को छोड़ कर कपास की फसल बो दी जो कपास असिंचित भूमि पर बोई गई थी वह अधिक बारिश के कारण खराब हो गई जिससे किसानो को भारी नुक्सान पहुंचा है। हांलांकि भाव अभी ठीक है मगर उत्पादन कम हो ने के कारण फसल पर खाद बीज किया गया खर्च भी नहीं निकल पा रहा है।

नेशनल लोक अदालत को लेकर प्री-लिटिगेशन प्रकरणो के संबंध में हुई बैठक

माही की गूंज, अलीराजपुर।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश /अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीराजपुर के.एन. सिंह के मार्गदर्शन में जिला अलीराजपुर एवं तहसील जोबट के समस्त न्यायालयों में दिनांक 14 दिसंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। दिनांक 14.12.2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले जलकर, सम्पत्तिकर, बैंक/मनी रिकवरी, विद्युत बिल संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के संबंध में नगर पालिका, विद्युत वितरण कंपनी, स्थानीय बैंक शाखाओं के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में आर.पी. सेवेतिया सचिव जि.वि.से.प्रा., सुभाष चौधरी जिला विधिक सहायता अधिकारी तथा विद्युत वितरण कंपनी अलीराजपुर व स्थानीय बैंक शाखा - यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिला सहकारिता बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक के अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में दिनांक 14.12.2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत हेतु बैंक/मनी रिकवरी, जलकर, संपत्तिकर, विद्युत बिल आदि के अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को रेफर करने, नेशनललोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों हेतु प्रावधानित छूट प्रदान कर पक्षकारों को लाभान्वित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में अनुपस्थित रहे मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक व बैंक अधिकारीगण को उनकी अनुपस्थिति तथा उनके आचरण के संबंध में उच्च न्यायालय, जबलपुर व वरिष्ठ अधिकारीगण को सूचना दिये जाने संबंधी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। उक्त जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गई।

प्रशासन को भू-माफियाओं का भय या मौन संरक्षण...?

जिले में अवैध कॉलोनियों की बाढ़, प्रशासन आदेश-निर्देश तक ही सीमित

माही की गूंज, झाबुआ।

अवैध कॉलोनियों और भू-माफियाओं का जिन्न एक बार पुनः जिले में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। किंतु न जाने क्यो प्रशासन को भू-माफियाओं का भय है अथवा इन्हे मौन संरक्षण देकर इनकी संख्याओं में वृद्धि की परंपरा अब तक जारी है। राजस्व एवं स्थानीय निकायों के आशीर्वाद से पनपे भू-माफियाओं में इन दिनों खलबली तो मची हुई है। किंतु प्रशासन और स्थानीय निकाय ठोस कदम उठाने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे है। अवैध शराब, पिछड़े जिले जैसी पहचान लिये बैठा जिला अब अवैध कॉलोनियों के लिए पहचाना जाने लगा है। प्रशासन की अवैध कार्यों के प्रति बेरूखी उसका प्रभावहीन होना अथवा अवैध आय जैसे संदेह पैदा करता है। यही कारण है कि, प्रशासन की मेहरबानी से प्रारंभ हुए अवैध कॉलोनी का धंधा इन दिनों सातवें आसमान पर है। तो भू-माफिया अब प्रशासन व स्थानीय निकायों को आंख दिखाते हुए सार्वजनिक रूप से अवैध कॉलोनियों का प्रचार कर भोलेभाले लोगों को ठगी का शिकार बना रहे है। मोटी रकम एठने के बाद भी सुविधाएं शून्य देने वाले भू-माफियाओं की जेबे अच्छी खासी गर्म हो रही है तो ठगाया हुआ व्यक्ति अपना दुखड़ा किसी को सुना पाने में असमर्थ है।

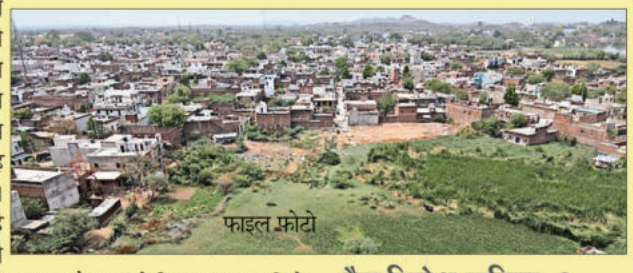
फाइल फोटो

जिले में कुछेक कॉलोनियों का ही रेरा में पंजीकृत है। रेरा के अतिरिक्त कई ऐसी अनापत्तियां है जो वैध कॉलोनी विकसित करने हेतु आवश्यक है। इतना ही नही वैध कॉलोनी विकसित करने हेतु निम्न वर्ग व निम्न आय वाले व्यक्तिओं के अधिकार भी सुरक्षित है। किंतु जिले में भू-मफियाओं ने जाल बिछाकर सैकड़ों लोगों के साथ न सिर्फ ठगी को अंजाम दिया जा चुका है वरन राजस्व चोरी व निम्न वर्ग का हक भी डकार चुके है। जिले के अन्य मजरो, टोलो, गावों व नगरो को छोड़ भी दे तो जिला मुख्यालय पर ही भू-माफियाओं ने प्रशासन को पंगु बना रखा है। मेघनगर नाका क्षेत्र, मौजीपाड़ा, माधौपुरा भू-माफियाओं की पसंद बने हुए है तो इनके पेर अब ग्राम पंचायतों तक भी पहुंचने लगे है। मिण्डल, बाढ़कुआ, चारोलीपाड़ा और बिलीडोज, के साथ ही रंगपुरा में भी अवैध भूखण्डो का क्रय-विक्रय जमकर हुआ है। किंतु अवैध मलाई से पेट भरकर बैठा राजस्व अब तक इन पर कार्रवाई करने की स्थिति में नही दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि, जिले में इन दिनों अवैध कॉलोनियों का जो मुद्दा गर्माया हुआ है चंद दिनों में मामला ठंडे बस्ते में जाने की पूरी संभावना है। जबकि संसदीय क्षैत्र के रतलाम जिले में कलेक्टरों ने भू-माफियाओं के नाक में नकेल कस रखी है। समपीस्थ जिले की समय-समय पर अवैध कॉलोनाईजरों के विरूद्ध कार्रवाई की खबरे भी आती रहती है। किंतु जिला प्रशासन की कृपा पाकर स्थानीय भू-माफिया जमकर फले-फूले और अब प्रशासन को आंख दिखाकर तांडव कर रहे है।

प्रशासन ने पैदा किये भू-माफिया...?

जिले में भूमाफियाओं की बाढ़ प्रशासनिक कार्यप्रणाली अथवा भ्रष्टाचार का ही परिणाम है। राजस्व के निचले तबके को भू-माफियाओं की कारस्तानी का अच्छा खासा न सिर्फ ज्ञान है बल्कि कई मामले गांधी छाप देकर भी निपटाए गए है। कागज के टुकड़े अब भी राजस्व में बेलगाम दौड़ रहे है तो हर कोई कार्य के बदले आवक को प्राथमिकता दे रहे है आशय की चर्चाएं भी है। कहने वाले तो यह भी कहते है कि, भू-माफियाओं की कृपा से ही निचले अमले के घर चल रहे है। अपने-अपने क्षैत्र में कौन कहां अवैध कॉलोनियों को बसां रहा है, की जानकारी न सिर्फ निचले तबके अपितु बड़े अधिकारियों को भी अच्छी तरह है। किंतु बजाए पूराने भू-माफियाओं पर कार्रवाई के प्रशासन इन्हे संरक्षित करता नजर आ रहा है। जिससे जिले में भू-माफियाओं की बाढ़ आई हुई। भू-माफियाओं और प्रशासन का गठजोड़, कागज के टुकड़ो का खेल, प्रभावियों की संलिप्तता आदि विषयों से पाठको को अवगत कराना शेष है।

शिकायत, आश्वासन, जांच और नतीजा लीपा पोती

जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुँचे मामले भी हो जाते हैं गोल

माही की गूंज, पेटलावद।
राकेश गेहलोत

जनपद पंचायत पेटलावद के अंतर्गत आने वाली कुल 77 पंचायतो में भ्रष्टाचार के अलग-अलग मामलो कि शिकायतें आये दिन किसी न किसी माध्यम से होती रहती है। मुख्य रूप से ग्रामीण न्याय की उम्मीद में मध्यप्रदेश शासन द्वारा चालये जा रहे जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुँच जाते हैं जहां से शिकायत सीधे सीएम हेल्पलाइन 181 पर दर्ज हो जाती है। अधिकारीयो पर शिकायतो के सही निराकरण के दबाव के चलते न्याय की उम्मीद में शिकायत करने वालो को उम्मीद रहती है लेकिन जब गेंद घूम फिर कर स्थानीय अधिकारियों के सामने आती है तो कहानी ढाक के वही तीन पात की हो जाती है। किसी भी शिकायत का निराकरण आश्वासन से शुरू होकर जांच और फिर लीपा पोती तक चला जाता है और शिकायतकर्ताओं को न तो न्याय मिलता है न ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई।

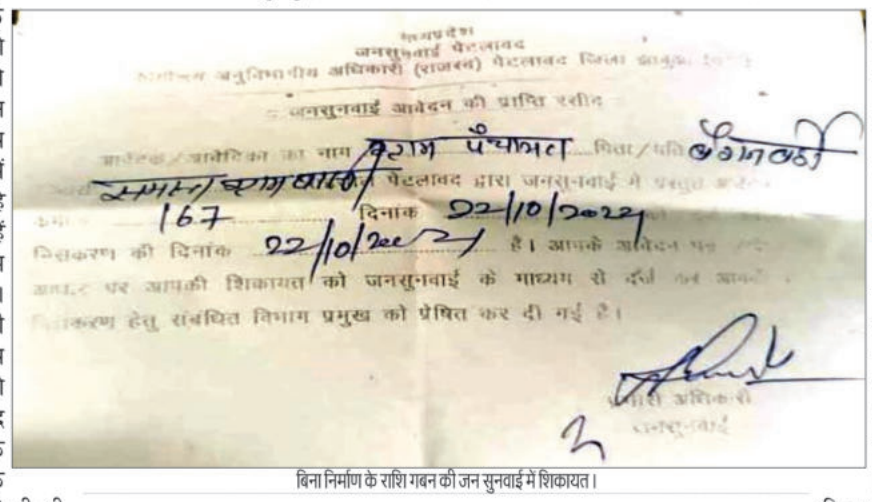
बिना निर्माण के राशि गबन की जन सुनवाई में शिकायत।

हेराफेरी की शिकायत

ग्राम पंचायत बैंगनबड़ी के पंचों एंव उपसरपंच ने जनसुनवाई कार्यक्रम में न्याय की उम्मीद के साथ तेज तर्रार आईएएस एसडीएम तनुश्री मीणा के समक्ष आवेंदन पेश कर बताया कि, हमारी ग्राम पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक उकार गामड जो कि विगत दो वर्ष से सचिव का भी कार्य कर रहा है। उक्त सचिव द्वारा ग्राम पंचायत में शासन के द्वारा विभिन्न मदो से आने वाली निमार्ण कार्य की राशि में भारी भष्ट्राचार किया गया होकर कई ऐसे कार्य है जिनका भुगतान उन कार्यों के जमीन स्तर पर किये बिना ही निकाल लिया गया। ग्राम पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायत पर सीधा फर्जीवाड़ा कर शासन की राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

इन निर्माण कार्यो की जांच की मांग

ग्राम पंचायत बैगनबडी के ग्राम छायनपाडा में डेढ लाख की लागत से बनने वाला कालु के घर से मेन रोड तक सीसीरोड आज दिनांक तक नही बना। ऐसे ही 5 लाख की लागत से बनने वाला ग्राम छायनपाडा कालु के घर से लालजी गलिया के घर का सीसीरोड निमार्ण भी नहीं किया गया। ग्राम बैंगनबडी में बनने वाला ग्राम पंचायत भवन से चम्पालाल के घर तक बनने वाला रोड की पाच लाख की राशि का भी बिना निमार्ण के भुगतान निकाल लिया गया है। ग्राम बैंगनबडी में चार लाख चालीस हजार रूपये की लागत की नानुराम के घर से नाले तक की नाली का कोई निमार्ण मौके पर नही है और इसका सम्पुर्ण भुगतान ग्राम पंचायत ने फर्जी बिल लगाकर निकाल लिया। ग्राम पंचायत में ऐसे कई कार्य है जो वर्तमान में अधुरे है या घटिया बनाये गये है और इनका पूरा भुगतान फर्जी बिल लगा कर निकाल लिया गया।

पंच-उपसरपंच तक को सूचना नही

उपसरपंच ओर पंचों का आरोप है कि, हम ग्राम पंचायत के पंच होकर भी ग्राम पंचायत में होने वाले किसी कार्य की जानकारी रोजगार सहायक द्वारा हमको नहीं दि जाती। किसी प्रकार की कोई ग्राम सभा नहीं होती व सभा के नाम पर जबरन के खर्च बताकर फर्जी बिल लगा लगा कर राशि निकाली जा रही है।ग्राम पंचायत में सचिव विगत दो वर्षों से नही है एवं रोजगार सहायक उंकार गामड ने ही सचिव का चार्ज ले रखा है। वर्तमान में अनुकम्पा नियुक्ति पर आई महिला सचिव जिसको राशि की लेन-देन की कोई जानकारी नही है रोजगार सहायत द्वारा भारी राशि का गबन की भुगतान कर लिया व अब सचिव को चार्ज दिया है।

जांच के नाम पर लटकते मामले, शिकायतकर्ताओ पर बनाया जाता है दबाव

जनपद पंचायत पेटलावद की पंचायतों में भ्रष्टाचार का ये कोई पहला मामला नही है इस प्रकार की शिकायतें आये दिन आती है। अधिकारीयो के संज्ञान में आने के बाद जांच की बात कही जाती है लेकिन जांच के नाम पर लीपा पोती हो जाती है। यहां तक की शिकायतकर्ताओ को दबा व डराकर शिकायत बंद करवाने की जानकारी भी सामने आती रही है। जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं को दूर रखा जाता है। क्या जांच की गई इसकी कोई जानकारी तक नही दी जाती। बिना कार्य किये राशि निकालने की शिकायत के ज्यादातर मामले सही पायें गए हैं और कई पंचायतो से वसूली के आदेश भी जारी हो चुके है। लेकिन शासकीय कार्यो की राशि की हेराफेरी के मामले आज तक जबाबदार के माध्यम से पुलिस के पास नही गए। क्योकि की ग्राम पंचायतों के माध्यम से होने वाले भ्रष्टाचार में केवल पंचायत नही पूरा सिस्टम जबाबदार होता है। जिसको बचाने और बचने के लिए गबन की राशि वसूली का खेल कर जनता को गुमराह किया जाता है।

अतिथि शिक्षक फल बेचने को हुआ मजबूर, जनसुनवाई के बाद केबिनेट मंत्री से लगाई गुहार

माही की गूंज, पेटलावद।

जिन हाथों में कुछ समय पहले तक कलम हुआ करती थी आज उन्हीं हाथों से एक अतिथि शिक्षक फल का ठेला ढो रहा है। अतिथि शिक्षक का यह हाल शासन की दोहरी नीति के कारण हो रहा है। अब अतिथि शिक्षक के पास बच्चों को पढ़ाने का काम बचा नहीं तो ऐसे में वह बेरोजगार हो गए है और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जगह-जगह हाथ-पैर मार रहे हैं।

मामला माध्यमिक विद्यालय अजब बोराली का है। दरअसल, यहां दिनेश नागर नाम का एक शिक्षक अतिथि शिक्षक के रूप में वर्षो से सेवा दे रहे थे। इस वर्ष भी उन्होंने इसी स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए आवेदन दिया, लेकिन उन्हें स्कूल संकुल प्राचार्य द्वारा नही रखा गया। ऐसे में वो अब बेरोजगार हो गए और अब मजबूरी में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पेटलावद के गली मोहल्लों में ठेले से फेरी लगाकर फल बेच रहे है।

जनसुनवाई में नही हुआ निराकरण

बेरोजगार हुए दिनेश नागर ने जनसुनवाई में भी आवेदन दिया, लेकिन अभी तक उनका निराकरण नहीं हो पाया। आवेदन में उन्होंने संकुल प्राचार्य और विभाग के अधिकारियो पर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चो की संख्या 175 है, लेकिन फिर भी यहां अतिथि शिक्षको की भर्ती नही की जा रही हैं। जबकि संस्था प्रमुख, ग्रामीणों सहित पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष द्वारा भी संकुल प्राचार्य और बीईओ को आवेदन देकर अतिथि शिक्षक रखने की मांग की गई थी, लेकिन फिर भी यहां अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नही करना लोगो की समझ से परे है। दिनेश नागर बताते है कि गृहस्थी चलाने के लिए उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। कई जगह हाथ-पैर मारे, लेकिन नौकरी नहीं मिली, इसके बाद वे अब ठेले से फेरी लगाकर फल बेचने को मजबूर है। उन्होंने मांग की है कि उनकी अतिथि शिक्षक के रूप में जल्द नियुक्ति की जाए ताकि वे उनके परिवार का भरण पोषण कर सके।

मंत्री से गुहार लगाते दिनेश नागर।

ठेले पर फल बेचने को मजबुर दिनेश नागर।

केबिनेट मंत्री से भी लगाई गुहार

अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ने के बाद संस्था के प्रमुखों के पास कई तरह के प्रभोलन आने लगे हैं और कई स्कूलों से वर्षो से काम कर रहे अतिथि शिक्षकों को हटा कर नई भर्ती कर ली गई । दिनेश नागर भी इनमें से एक अतिथि शिक्षक हो सकता है, मंगलवार को जब केबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया साइकिल वितरण कार्यक्रम में आई तो दिनेश नागर अपने फल का ठेला लेकर पहुँच गया लेकिन पुलिस ने उसे मैदान में नही जाने दिया जिसके बाद दिनेश नागर ने मंत्री निर्मला भूरिया के समक्ष जा कर आवेंदन देकर अतिथि शिक्षक पद पर नियुक्ति देने की मांग की।

निजी धार्मिक आयोजन की खबर नहीं लगाने पर पत्रकार को धमकी

आवेंदन के बाद बौखलाए युवक ने पत्रकार को दोबारा धमकाया

माही की गूंज, बामनिया। गौरव भंडारी

विगत दिनों ग्राम में मुकेश गवली नाम के युवक द्वारा मृतक पिता और भाई की स्मृति में धार्मिक आयोजन किया गया। आयोजन समाप्त होने के बाद अखबार ओर शोसल मीडिया में किसी प्रकार की खबर प्रकाशित नही होने पर आयोजनकर्ता मुकेश गवली इस कदर बौखलाया की उसने स्थानिय एक पत्रकार जितेंद्र बैरागी को मोबाइल पर फोन कर आयोजन को कवरेज नही देने पर अपशब्दों का प्रयोग कर चौराहे पर बुला कर मारने की बात कह डाली। युवक 11 मिनिट तक पत्रकार से खबर को लेकर हुज्जत कर पत्रकार जितेंद्र बैरागी को धमकाता रहा।

चौकी पर की शिकायत

जितेंद्र वैरागी ने अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी पत्रकार संघ जिला अध्यक्ष राजेश सोनी व अन्य साथी पत्रकारो को दी। जिसके बाद मोबाइल पर धमकी देने वाले युवक मुकेश गवली के विरुद्ध लिखित शिकायत चौकी बामनिया पर देकर कार्रवाई की मांग नगर पत्रकार संघ की और से की गई।

रिपोर्ट के बाद दोबारा जान से मारने की धमकी

जितेंद्र बैरागी द्वारा रिपोर्ट करने के बाद युवक मुकेश गवली को अपने द्वारा किये पर पछतावा कर अपने द्वारा की गई हरकत पर खेद व्यक्त करने की बजाए , 19 नवम्बर को रात्रि में दोबारा जितेंद्र वैरागी को फोन काल कर धोस डपट करते हुऐ माँ-बहन की नग्गी-नग्गी गालियां देते हुए ,मुख्य चौराहे पर बुलाकर निपटाने की खुली धमकी देते हुऐ पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। ऐसे लोग कुछ भी करे उनको पुलिस का कोई ख़ौफ़ नहीं है। युवक द्वारा दोबारा धमकी के बाद पत्रकारों में रोष व्यक्त किया और पत्रकार जितेंद्र वैरागी के साथ दुसरी बार जाकर धमकी देने वाले युवक मुकेश गवली पर कार्रवाई की मांग की । पत्रकारो ने मामले में कार्रवाई नही होने की दिशा में उच्च पुलिस अधिकारी से इस संबध में शिकायत करने की बात कही है।

पहले भी कर चुका है इस प्रकार के विवाद

असल मे मुकेश गवली कन्ट्रेक्शन का ठेकेदार है और सरकारी कार्य करता है। फिलहाल अपना कार्य क्षेत्र रतलाम जिला बना रखा है। इससे पूर्व युवक नगर की स्कूलो में मध्यान्ह भोजन सप्लाई का कार्य समूह के माध्यम से करता था। घटिया खाना बच्चों को खिलाने की खबरे प्रकाशित होने के बाद युवक अपने परिवार की महिलाओं के माध्यम से पत्रकार पर हमला कर चुका है। साथ ही इस प्रकार के कई विवाद युवक से जुड़े हैं और चैक बाउंस के मामले भी दर्ज हो चुके हैं।

पत्रकार संघ ने कार्रवाई की मांग की

किसी भी निजी आयोजन की खबर प्रकाशित करना न करना ये किसी भी प्रकार के पत्रकार का निजी विषय है। ऐसे में आयोजनकर्ता के द्वारा आयोजन को कवरेज नही मिलने पर पत्रकार को धमकी देना गलत है और इस पर पुलिस को सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। मामले में जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजेश सोनी ने दो बार धमकी देने वाले युवक पर आपराधिक मामले सहित नगर की शांत फिजा को बिगाड़ कर माहोल खराब करने का मामला दर्ज करने की मांग की है। यदि स्थानीय स्तर से न्याय नही मिलता तो संगठन के माध्यम से मामले को उच्चधिकारियों के पास ले जाया जाएगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422